



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2015/श्रावण 15, 1937

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2015/SRAVANA 15, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2015

सं. एल-1/153/2014/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 28 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त (सामर्थ्यकारी) सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार पारेषण केन्द्र के फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम 2015 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और आयोग द्वारा जब तक पूर्ववर्ती समीक्षा न की गई हो या उसे विस्तारित न किया गया हो, 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान लागू होंगे।
2. विस्तार तथा लागू होना.—(1) ये विनियम उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं तथा अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले फीस एवं प्रभासों के निर्धारण के लिए लागू होंगे।
3. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (2) 'अतिरिक्त पूंजीकरण' से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है;
 - (3) 'संपरीक्षक' से समय समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233ख और 619 या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अध्याय X, के उपबंधों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है;
 - (4) 'बैंक दर' से समय समय पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की बेस दर या उसका कोई प्रतिस्थापन प्लस 350 आधार बिन्दु अभिप्रेत है;
 - (5) 'क्रेता' से मध्यकालिक या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा क्रय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

3356 GI/2015

(1)

18

- (6) 'पूँजी लागत' से इन विनियमों के विनियम 9 में यथापरिभाषित पूँजी लागत अभिप्रेत है;
- (7) 'पूँजी व्यय या केपेक्स' से, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, की आस्तियों के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने वाली योजनाबद्ध पूँजी प्रकृति का व्यय अभिप्रेत है;
- (8) 'प्रभार' से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए इस निमित्त मासिक आधार पर संग्रहित किए जाने वाले आवर्ती संदाय अभिप्रेत हैं;
- (9) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (10) 'संविदागत क्षमता' से दीर्घकालिक या मध्यकालिक पहुंच के माध्यम से व्यवस्थित क्षमता अभिप्रेत है;
- (11) 'नियंत्रण अवधि' से 1.4.2014 से आरंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;
- (12) 'दिन' से 0000 घंटे से आरंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- (13) 'उपगत व्यय' से उपयोगी आस्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ऐसी निधि, चाहे इक्विटी या ऋण या दोनों हो, तथा नगद में संदत या नगद के समतुल्य निधि अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है;
- (14) 'फीस' से ग्रिड पहुंच और अनुसूचीकरण के आरंभ के लिए दी गई सेवाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और समय समय पर आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता या किसी अन्य मददे संगृहीत एक बार या वार्षिक नियत संदाय अभिप्रेत है;
- (15) 'ग्रिड पहुंच' से उत्पादन केन्द्र के स्टेज या यूनिट या तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ग्रिड के साथ अनुज्ञापिधारियों, क्रेताओं और विक्रेताओं सहित उत्पादन केन्द्र के समाकलन के लिए संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है;
- (16) 'अनुज्ञापिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापि प्रदान की गई है;
- (17) 'बाजार प्रचालन कृत्य' में अनुसूचीकरण, प्रेषण मीटरिंग, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापक, पारेषण हानि संगणना के कृत्य तथा प्रभाजन, विनियामक पूल लेखा का प्रचालन, प्रशासनिक सहायक सेवाएं, जानकारी प्रसार तथा कोई अन्य कृत्य सम्मिलित हैं जो अधिनियम या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र विनियम, 2005 (एनएलडीसी नियम) या समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों तथा आदेशों के अंतर्गत आरएलडीसी/एनएलडीसी को समनुदेशित किए जाएं;
- (18) 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र' या 'एनएलडीसी' से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (19) 'ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी' या 'पोसोको' से अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन, सौंपी गई कंपनी और अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (20) 'प्रदेश' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक प्रलेखित प्रदेश अभिप्रेत है;
- (21) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर की जाती है;
- (22) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' या 'आरएलडीसी' से अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रत्येक प्रदेश के लिए केन्द्र अभिप्रेत है;
- (23) 'प्रतिस्थापन व्यय या रेपेक्स' से उनके उपयोगी जीवन के पूरा होने पर पूँजी आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित या उपगत व्यय अभिप्रेत है लेकिन जिसे मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है;
- (24) 'विनियामक पूल लेखा' से बाजार विखंडन के कारण विचलन व्यवस्थापन के प्रभारों, रिस्कितव ऊर्जा प्रभारों, संकुलता प्रभारों एवं संकुलता राशि के संचालन के लिए आयोग द्वारा सुसंगत विनियमों या आदेशों के अधीन आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित लेखा या किसी अन्य लेखा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय समय से आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा प्रचालित किया जा सकता है, अभिप्रेत हैं;
- (25) 'स्कोम' से यथास्थिति प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी(पोसोको) के निगमित कार्यालय से सहबद्ध और उसपर संस्थापित सुविधाएं तथा उपकरण अभिप्रेत हैं और सम्मिलित हैं किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्:

- (i) कम्प्यूटर प्रणाली, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर,
- (ii) गौण ऊर्जा प्रदाय प्रणाली जिसमें अबाधित ऊर्जा प्रदाय डीजल जेनरेटिंग सेट, तथा डीसी ऊर्जा प्रणाली भी सम्मिलित है,
- (iii) साधारण टेलीफोन तथा फैक्स तथा अन्य आफलाईन संचार प्रणाली।

- (iv) अन्य अवसरचना सुविधाएं जैसे वातानुकूलित, अग्निशामक तथा भवन का संनिर्माण तथा नवीकरण,
- (v) बेहतर प्रणाली प्रचालन जैसे साइक्रोफेजर्स प्रणाली, प्रणाली संरक्षण स्कीम के लिए आर एंड डी परियोजनाओं तथा पाईलेट परियोजनाओं के लिए कोई इनोवेटिव स्कीम,
- (vi) आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के लिए बैकअप नियंत्रण केन्द्र,
- (vii) निगरानी कैमरा प्रणाली,
- (viii) साइबर सुरक्षा प्रणाली,
- (ix) व्यापक क्षेत्र परिभाषन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस),

(26) 'विक्रेता' से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन का समन्वय प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है;

(27) 'प्रणाली प्रचालन कृत्य' में ग्रिड प्रचालन की मॉनिटरिंग, अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा उसपर नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण तथा प्रेषण के लिए रियल टाइम प्रचालन, ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए प्रणाली प्रतिस्थापन, प्रणाली प्रचालन तथा संकुचन प्रबंधन, ब्लैक आरंभ समन्वयन से संबंधित आंकड़ों का संकलन तथा उन्हें प्रस्तुत करना एवं कोई अन्य कृत्य जो समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों एवं आदेशों या एनएलडीसी नियमों या अधिनियम के अंतर्गत यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, को सौंपे जाएं;

(28) 'उपयोक्ता' से ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञापिधारी, विक्रेता, क्रेता तथा अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारी अभिप्रेत हैं जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करता है;

टिप्पण:

(1) ऐसा उत्पादन केन्द्र या यूनिट जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रत्येक स्टेज या यूनिट के लिए अलग से किया जाता है, इस प्रकार के उत्पादन केन्द्र, स्टेज या यूनिट को इन विनियमों के विनियम 27 के अनुसार बाजार प्रचालन प्रभारों की शेयरिंग के प्रयोजन के लिए और विनियम 26 के अनुसार प्रणाली प्रचालन प्रभारों एवं इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस के संदाय के लिए उपयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;

(2) अंतरराज्यिक अनुज्ञापिधारियों के मामले में प्रत्येक क्षेत्र जहां अनुज्ञापिधारी का प्रचालन है, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझा जाएगा;

(3) जहां अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली किसी विदेश की पारेषण प्रणाली से संबद्ध है वहां उक्त पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा के आयात और निर्यात के लिए किए गए संव्यवहार के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन के समन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझी जाएगी;

(4) सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और भाखड़ा बीस प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जिनका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन संबंधित आरएलडीसी द्वारा किया जाता है, इस विनियम के प्रयोजन के लिए उपयोक्ता के रूप में समझे जाएंगे;

(29) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(30) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

अध्याय 2

सामान्य

4. **रजिस्ट्रीकरण :** (1) उपयोक्ता आरएलडीसी या एनएलडीसी की प्रणाली प्रचालन सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्रिड पहुंच की आरंभ के लिए संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के साथ निम्नानुसार रजिस्टर होगा।

(क) ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के लिए सभी उत्पादन केन्द्र वितरण अनुज्ञापिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारी स्वयं को इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व अनुसूचीकरण, मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और स्वीचिंग प्रचालनों के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में रजिस्टर करेंगे;

परंतु यह कि जब कोई यूनिट उत्पादन केन्द्र में जोड़ा जाता है या एक घटक पारेषण प्रणाली में जोड़ा जाता है, तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञापिधारी, इसके रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेगा;

(ख) क्रेता और विक्रेता जो ग्रिड पहुंच का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए ग्रिड पहुंच के आरंभ की अभीष्ट तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे;

- (ग) ऐसे पावर एक्सचेंज और व्यापारी जो आरएलडीसी और एनएलडीसी की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, इन विनियमों के परिशिष्ट IV में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन को दाखिल करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र में स्वयं को रजिस्टर करेंगे।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की संवीक्षा के बाद और आवेदन में प्रस्तुत सूचना की शुद्धता से संतुष्ट होने के बाद, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र आवेदक को रजिस्टर करेगा और आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा:
- परन्तु यह कि उत्पादन कंपनियां, अनुज्ञापिधारी पावर एक्सचेंज, क्रेता और विक्रेता जिन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आरएलडीसी फीस एवं प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार रजिस्टर किया गया है, को इन विनियमों के अंतर्गत, यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी के साथ रजिस्टर किया माना जाएगा और उन्हें इन विनियमों के विनियम 25 के अंतर्गत यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण फीस अदा नहीं करनी होगी।
- (3) उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञापिधारी, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारी पावर एक्सचेंज, व्यापारी, विक्रेता और क्रेता इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।
- (4) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ताओं, अनुज्ञापिधारियों और पावर एक्सचेंजों की सूची उनकी रजिस्ट्रेशन की तारीख सहित बनाए रखेंगे।
5. **पूँजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) योजना:**

- (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित नियंत्रण अवधि के लिए पूँजी व्यय (केपेक्स) और प्रतिस्थापन व्यय (रेपेक्स) के लिए स्कीम तैयार करेंगे। केपेक्स और रेपेक्स योजना में वर्तमान पूँजी आस्तियों के अतिरिक्त अवसरचना के उन्नयन, आधुनिकीकरण, स्वचालन और विस्तार के लिए उपगत की जाने वाली भावी लागत को भी शामिल किया जाएगा।
- (2) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए याचिका के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत करेंगे:
- (क) प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा और प्रत्येक स्कीम की प्राक्कलित समापन अवधि को समायोजित करने के लिए अनुमानित व्यय, पूँजी लागत की अपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोह्यता के ब्यौरों सहित 2014-19 की नियंत्रण अवधि के लिए केपेक्स;
- (ख) प्रचालन प्रणाली की बढ़ती अपेक्षा और प्रत्येक स्कीम की प्राक्कलित समापन अवधि को समायोजित करने के लिए अनुमानित व्यय, पूँजी लागत की उपयुक्तता, वित्त पोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों की उन्नयनशीलता/आरोह्यता सहित विद्यमान आस्तियों के पूँजी व्यय, विद्यमान आस्तियों का जीवन समापन, वसूल किया गया संचयी अवक्षयण, प्रतिस्थापन की तारीख तक, ऋण का संचयी पुनर्भुगतान मूल नियत आस्तियों से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बढ़ाते के लिए रिपेक्स योजना।
- (3) एक या अधिक आरएलडीसी और/या एनएलडीसी को शामिल करने वाली केपेक्स और रिपेक्स की किसी समेकित योजना के संबंध में प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी का प्रभार्य पूँजी व्यय को पृथक किया जाएगा और, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के पूँजी व्यय के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा।

अध्याय 3

फीस एवं प्रभारों के लिए आवेदन

पूँजी लागत तथा पूँजी संरचना की संगणना

6. फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन:

- (1) आरएलडीसी और एनएलडीसी, नियंत्रण अवधि के लिए फीस तथा प्रभारों के अवधारण के लिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 180 दिनों के अंदर इन विनियमों के परिशिष्ट I संलग्न फॉर्मेट में 1.4.2014 का संपरीक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित एवं उपगत तथा केपेक्स और रिपेक्स पर आधारित नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूँजी व्यय के आधार पर आवेदन करेंगे।
- (2) आवेदन में निधियों के स्रोत, प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्कर, बढ़ाते खाते डाली गई आस्तियों के ब्यौरे तथा पूँजीकृत किए जाने वाली आस्तियों के ब्यौरे इत्यादि जैसी विशिष्टियां शामिल होंगी।
- (3) आवेदन करने से पूर्व, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, उपयोक्ताओं पर आवेदन की तामील करेगा और आवेदन के साथ तामील प्रमाण प्रस्तुत करेगा। संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी इसकी याचिका के निपटान तक इसकी वेबसाइट पर पूर्ण आवेदन को भी उपलब्ध रखेगा।

(4) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, आवेदन करने के पश्चात् 7 दिनों के भीतर उपलब्ध आवेदन की सूचना कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में होगा और एक भारतीय आधुनिक भाषा में, तथा जिसका प्रचलन उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, जहां उपयोक्ता अवस्थित हो, उसी भाषा में होगा जिसमें आवेदन की सूचना इन विनियमों के परिशिष्ट II में दिए गए फार्मेट में प्रकाशित की गई है।

(5) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी, को आयोग द्वारा फीस एवं प्रभार 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार उपगत पूंजी व्यय पर आधारित और इन विनियमों के अनुसार संपरीक्षक द्वारा सम्यक्तः प्रणामित केपेक्स और रेपेक्स के आधार पर नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय पर अनुज्ञात किए जाएंगे।

परंतु यह कि, आवेदन में उपगत पूंजी व्यय तथा केपेक्स और रेपेक्स के अनुसार उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए औचित्य एवं पूर्वानुमानों को रेखांकित करने वाले ब्यौरे शामिल होंगे।

(6) यदि आवेदन इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अधीन यथाअपेक्षित किसी संबंध में अपर्याप्त है, आवेदन आयोग के स्टाफ द्वारा उल्लिखित की गई कमियों को संशोधित करने के बाद एक महीने के अंदर याचिका के पुनःप्रस्तुत करने के लिए संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी को लौटाया जाएगा।

(7) यदि याचिका में प्रस्तुत सूचना विनियमों के अनुसार है और किए गए दावों की प्रज्ञावान जांच करने के लिए पर्याप्त है तो आयोग प्रत्यर्थियों और उपभोक्ताओं या उपभोक्ता संघ को शामिल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किए गए सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई है, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थियों तथा आयोग द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के बाद फीस एवं प्रभार आदेश को अवधारित करने वाला आदेश जारी करेगा।

(8) आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2014 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए पूर्ववर्ती नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित और 31.3.2014 को यथा लागू फीस एवं प्रभारों के आधार पर उपयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा।

(9) नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक लागू विनियमों के अंतर्गत फीस एवं प्रभारों के अनुमोदन तक 1.4.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.3.2019 को लागू एवं आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के आधार प्रयोक्ताओं के बिल जारी रखेगा।

7. फीस एवं प्रभारों का अवधारण

(1) फीस एवं प्रभार प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए पृथक् रूप से अवधारित होंगे:

परंतु यह कि, नियंत्रण अवधि के लिए निगमित कार्यालय व्यय को शामिल करते हुए एनएलडीसी का वार्षिक प्रभार संबंधित क्षेत्र में की गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा, जैसाकि, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट पर निर्दिष्ट किया गया है।

8. वार्षिक प्रभारों का टूडंगअप

(1) आरएलडीसी और एनएलडीसी टूडंगअप अभ्यास के लिए 31.10.2019 तक इन विनियमों के परिशिष्ट I से संबद्ध फार्मेटों में आवेदन करेगा।

(2) आरएलडीसी और एनएलडीसी लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक्तः संपरीक्षित और प्रमाणित 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय, वित्तपोषण के स्रोत, मानव संसाधन व्यय, प्रचालन और रखरखाव व्यय इत्यादि सहित, पूंजी व्यय के ब्यौरे टूडंगअप के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(3) आयोग 31.3.2019 तक उपगत एवं टूडंगअप के समय प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित अगली नियंत्रण अवधि के लिए फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन सहित टूडंगअप अभ्यास करेगा:

परंतु यह कि, यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय पर आधारित व्यय की टूडंगअप करेगा और आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रयोक्ताओं को फीस एवं प्रभारों की अतिरिक्त वसूली वापस करेगा।

(4) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई रकम, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को यथा विद्यमान बैंक दर की समान दर पर साधारण व्याज सहित टूडंगअप प्रयोग के बाद जारी किए गए आदेश की तारीख से 3 माह के अंदर आरंभ होने वाली 6 समान मासिक किस्तों में, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी या प्रयोक्ताओं द्वारा, वसूली या वापस की जाएगी।

9. पूंजी लागत की संगणना:

(1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या, एनएलडीसी के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आधार होगी।

(2) पूंजी लागत निम्नलिखित पर विचार करते हुए संगणित की जाएगी:

- (क) दायित्व को छोड़ते हुए यदि कोई है, सम्यक्तः द्ररुईंगअप करते हुए 1.4.2014 को आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत;
- (ख) विनियम 10 के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूंजीकरण और अव-पूंजीकरण के कारण व्यय;
- (ग) नियत आस्तियों की मूल पूंजी लागत जिसे नियंत्रण अवधि के दौरान प्रतिस्थापित किया गया है उसे सम्यक्तः समायोजनकारी संचयी अवक्षयण और संचयी पुनर्भुगतान, यदि कोई है, करते हुए संबंधित तारीख से स्वीकृत पूंजी लागत से अवपूंजीकृत किया जाएगा;

(घ) संनिर्माण के दौरान ब्याज और संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय।

(ङ) परियोजना के निष्पादन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त कोई अनुदान जो कोई दायित्व या पुनर्भुगतान नहीं रखता उसे ऋण पर ब्याज की संगणना के प्रयोजन, रिटर्न आन इक्विटी और अवक्षयण के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से अपवर्जित किया जाएगा।

3. पूंजी लागत प्रज्ञावान जांच के बाद स्वीकार की जाएगी जिसमें पूंजी व्यय की उपयुक्तता, वित्तपोषण योजना, संनिर्माण के दौरान ब्याज, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, वित्त पोषण प्रभार, विदेशी विनियम भिन्नता के कारण कोई लाभ या हानि, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, ओवर रन लागत और टाईम ओवर रन और ऐसे अन्य मामलों की संवीक्षा शामिल है जिन्हें आयोग द्वारा उचित समझा जा सकता है:

परंतु यह और कि संनिर्माण के दौरान ब्याज, ऋण निधि के इनपयूजन की तारीख से ऋण और टाईम ओवर रन के कारण आईडीसी को सम्यक्तः समायोजित करते हुए निधियों की प्रज्ञावान चरणबद्धता को ध्यान में रखने के बाद तत्समान रूप से संगणित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि, संनिर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय टाईम ओवर रन, यदि कोई है, जमा या अग्रिमों पर ब्याज या कोई अन्य प्राप्तियां एवं विलंब के तत्समानी वसूल की गई परिसमाप्त क्षतियों के कारण आईडीसी के सम्यक्तः समायोजन करते हुए प्रज्ञावान जांच के बाद संगणित किया जाएगा।

10. अतिरिक्त पूंजीकरण और अवपूंजीकरण

(1) टैरिफ अवधि के दौरान उपाप्त की जाने वाली प्रक्षेपित अतिरिक्त आस्तियों तथा पहले से सेवा में आस्तियों के लिए उपगत किए जाने के वाली प्रक्षेपित या उपगत पूंजी व्यय पूंजीकरण और अव-पूंजीकरण के लिए प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा इसके विवेकानुसार स्वीकृत की जा सकती है:

परंतु यह कि वर्ष 2009-14 की टैरिफ अवधि के दौरान खरीदे गए औजार तथा रस्से, फर्नीचर वातानुकूलकों, वोल्टाज स्टेबलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, पंखों, ऊष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीनों आदि जैसी आस्तियों या लघु मर्द अर्जित करने के लिए किसी व्यय को, फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार नहीं लिया जाएगा।

(2) रेपेक्स या अन्यथा के अंतर्गत आस्तियों के अवपूंजीकरण के मामले में अवपूंजीकरण की तारीख को ऐसी आस्त की मूल लागत, इक्विटी में तत्समानी समायोजन, बकाया ऋण, इस प्रकार के अवपूंजीकरण वर्ष में अवक्षयण एवं ऋण के संचयी पुनर्भुगतान सहित सकल नियत आस्त के मूल्य से कटौती की जाएगी।

11. ऋण इक्विटी अनुपात :

(1) वास्तविक ऋण : 31.3.2014 को समाप्त अवधि के लिए आयोग द्वारा यथा स्वीकृत ऋण इक्विटी अनुपात, यथास्थिति, प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र की आरंभिक पूंजी लागत के लिए विचार में लिया जाएगा।

(2) 1.4.2014 से पूर्व उपगत पूंजी व्यय जहां ऋण इक्विटी अनुपात 31.3.2014 को समाप्त अवधि के लिए आरएलडीसी के वार्षिक प्रभारों के अवधारण के लिए आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, वहां आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध विषय) विनियम, 2009 के विनियम 9(2) के अनुसार ऋण इक्विटी अनुपात को अवधारित करेगा।

(3) 1.4.2014 को या उसके बाद उपगत या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजी व्यय के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 के रूप में समझा जाएगा। यदि वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है वहां 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा:

परंतु यह कि :

- जहां वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम है वहां वास्तविक इक्विटी को टैरिफ के अवधारण के लिए विचार में लिया जाएगा;
- विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रूप में निर्दिष्ट की जाएगी;
- परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त किया गया कोई अनुदान ऋण इक्विटी अनुपात के प्रयोजन के लिए पूंजी संरचना के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण : परियोजना के निधियन के लिए शेयर पूंजी जारी करते समय ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा प्रोद्भूत कोई प्रीमियम, यदि कोई हो और अपनी मुक्त आरक्षिति से सृजित आंतरिक संसाधनों का विनिधान तो इक्विटी पर रिटर्न की संगणना

के प्रयोजन के लिए समादत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा परंतु यदि ऐसी प्रीमियम रकम तथा आंतरिक संसाधनों का वास्तव रूप में उपयोग आरएलडीसी के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता हो।

12. एलडीसी विकास निधि :

(1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, पूंजी व्यय को प्रशासित करने के लिए भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (एलडीसीडी निधि) नामक पृथक निधि को सृजित तथा बनाए रखेगी।

(2) रिटर्न आन इक्विटी के मददे प्रभार, ऋण पर ब्याज, रजिस्ट्रीकृत फीस सहित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र एवं राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के अवक्षयण सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसीडी निधि में जमा किए जाएंगे।

परंतु यह कि अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार एवं आरएलडीसी या एनएलडीसी की अन्य आय, यदि कोई है, एलडीसीडी निधि का भाग नहीं होगी।

(3) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी नई आस्तियों के सृजन, ऋण प्रतिसंदाय ब्याज तथा लाभांश संदाय के रूप में उद्भूत पूंजी की सर्विसिंग, आस्तित्व सृजन में अनुबंध इक्विटी भाग को पूरा करने तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए मार्जिन धन और अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के निधियन के लिए एलडीसीडी निधि में जमा धन का उपयोग करने के लिए हकदार होगी।

(4) एलडीसीडी निधि का किसी अन्य राजस्व व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, मानव संसाधन व्ययों सहित राजस्व व्यय की पूर्ति में कमी की स्थिति में ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी एलडीसीडी निधि से ब्याज मुक्त अग्रिम के लिए हकदार होगी जिसे नियंत्रण अवधि 2014-19 की समाप्ति के बाद किए जाने वाले ट्विंजअप के समय संबंधित शीर्षों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमत व्यय से पूरा किया जाएगा।

(5) एलडीसीडी में जमा किए गए धन में से ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा सृजित कोई आस्तित्व इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज तथा अवक्षयण पर उसी सिद्धान्त पर संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा जैसाकि अनुदान के मामले में किया जाता है। ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी, केपेक्स योजना में इस प्रकार की आस्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगी।

(6) पोसीको, स्रोतों के ब्रेकअप के साथ जहां से निधि प्राप्त हुई है एलडीसी विकास निधि में संचित रकम को प्रस्तुत करेगा। आयोग, प्रत्येक वर्ष एलडीसी विकास निधि की समीक्षा करेगा और यदि अपेक्षित हो तो निधियों के प्रभावी प्रयोग के लिए पोसीको को निर्देश जारी करेगा।

अध्याय-4

आरएलडीसी फीस और प्रभार संरचना

13. आरएलडीसी फीस और प्रभारों के संघटक : (1) आरएलडीसी फीस और प्रभार में ग्रिड पहुंच के आरंभ और अनुसूचीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऊर्जा प्रचालन कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र फीस तथा प्रयोक्ताओं से प्रणाली प्रचालन और बाजार प्रचालन के रूप में वसूल किए जाने वाले वार्षिक प्रभारों को समाविष्ट किया जाएगा।

14. वार्षिक प्रभार : वार्षिक प्रभारों में प्रणाली प्रचालन कृत्य के व्यय के तत्समानी वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभार और बाजार प्रचालन कृत्य के व्यय के तत्समानी वार्षिक बाजार प्रचालन प्रभारों को शामिल किया जाएगा। वार्षिक प्रभारों को वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभारों और वार्षिक बाजार प्रचालन प्रभारों में 70:30 के अनुपात में पृथक किया जाएगा। वार्षिक प्रभारों में निम्नलिखित संघटक होंगे, अर्थात् :-

- (क) रिटर्न आन इक्विटी
- (ख) ऋण पूंजी पर ब्याज
- (ग) अवक्षयण
- (घ) प्रचालन तथा रखरखाव खर्च (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)
- (ङ) मानव संसाधन खर्च
- (च) एनएलडीसी प्रभार तथा निगमित कार्यालय खर्च, और
- (छ) कार्य पूंजी पर ब्याज

15. प्रणाली प्रचालन प्रभार.—प्रणाली प्रचालन प्रभार अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारियों, उत्पादन केन्द्रों, विक्रेताओं तथा वितरण अनुज्ञापिधारियों एवं क्रेताओं के लिए पृथक रूप से निम्नानुसार व्युत्पन्न किया जाएगा।

(क) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारियों के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभार वार्षिक प्रणाली प्रचालन के 10 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारियों के स्वामित्वाधीन लाइनों के सीकेटी किलोमीटर के आधार पर निकाला जाएगा।

(ख) अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्र एवं विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभार वार्षिक प्रणाली प्रचालनों के 45 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे और इन्हें विक्रेताओं के मामले में दीर्घकालिक तथा/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर तथा उत्पादन केन्द्र के मामले में संस्थापित क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को वार्षिक प्रणाली प्रचालन प्रभारों के 45 प्रतिशत के आधार पर अवधारित किया जाएगा और इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में कुल आवंटित क्षमता एवं संविदात्मक क्षमताओं के आधार पर एवं क्रेता के मामले में दीर्घकालिक और/या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता के आधार पर निकाला जाएगा।

16. **बाजार प्रचालन प्रभार :** उत्पादन केन्द्रों और विक्रेताओं, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं द्वारा बाजार प्रचालन प्रभार अनुसूचीकरण के लिए कुल क्षमताओं के आधार पर निकाले जाएंगे।

अध्याय 5

वार्षिक प्रभारों की संगणना

17. इक्विटी पर रिटर्न

- (1) इक्विटी पर रिटर्न, इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर रुपए में संगणित की जाएगी।
- (2) इक्विटी पर रिटर्न, इस विनियम के उपखंड (3) के अनुसार संकलित की जाने वाली 15.50 प्रतिशत की पूर्व कर आधार दर पर संगणित की जाएगी।
- (3) इक्विटी पर रिटर्न की दर ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रभावी कर दर के साथ आधार दर को संकलित करते हुए संगणित की जाएगी:

परंतु यह कि नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को लागू वास्तविक कर दर के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न नियंत्रण अवधि के अंत में द्रष्टव्य किया जाएगा।

- (4) इक्विटी पर रिटर्न की दर 3 डेसीमल बिन्दुओं तक पूर्णांकित की जाएगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी:-

इक्विटी पर कर पूर्व रिटर्न की दर — आधार दर/(1-टी)

जहां 'टी' उपखंड (3) के अनुसार प्रभावी कर दर है।

18. ऋण पूंजी पर ब्याज

- (1) विनियम 11 के अनुसार अवधारित ऋण को ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में समझा जाएगा।

- (2) 1.4.2014 को अनुसार बकाया मानकीय ऋण सकल मानकीय ऋण से 31.3.2014 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

- (3) नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के लिए पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के बराबर समझा जाएगा। आस्तियों के अवपूँजीकरण के मामले में, पुनर्भुगतान समानुपातिक आधार पर संचयी पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा और समायोजन ऐसी आस्ति के अवपूँजीकरण की तारीख तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण से अधिक नहीं होना चाहिए।

- (4) ब्याज की दर, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को लागू प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियों के आधार पर संगणित भारित औसत ब्याज दर होगी:

परंतु यह कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु सामान्य ऋण अभी भी बकाया है तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि किसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाएगा।

- (5) ऋण पर ब्याज को ब्याज की भारित औसत दर लागू करते हुए वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर संगणित की जाएगी।

- (6) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ब्याज पर शुद्ध बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनर्वित्त का प्रत्येक प्रयास करेगी और उस स्थिति में इस प्रकार के पुनर्वित्त से संबद्ध लागत प्रयोक्ताओं द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचतें प्रयोक्ताओं तथा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के बीच 2:1 के अनुपात में शेयर की जाएंगी। ऋणों के निबंधन और शर्तों में परिवर्तन ऐसे पुनर्वित्त की तारीख से प्रतिबिम्बित किया जाएगा।

(7) विवाद के मामले में, कोई पक्षकार विवाद के निपटान के लिए उसके साविधिक पुनर्निर्णयन सहित समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999, के अनुसार आवेदन कर सकता है।

परंतु यह कि, प्रयोक्ता ऋण के पुनर्वित्त से उद्भूत किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान प्रयोक्ताओं और ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा दावा किए गए ब्याज के कारण कोई भुगतान नहीं रोकेगा।

19. अवक्षयण

(1) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगी।

(2) आस्तियों का साल्वेज मूल्य (आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर को छोड़कर) 10 प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और आस्ति के पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा। आईटी उपस्करों और साफ्टवेयर के लिए साल्वेज मूल्य को शून्य समझा जाएगा और आस्ति का 100 प्रतिशत मूल्य अवक्षयणीय समझा जाएगा।

(3) भूमि अवक्षयणीय आस्ति नहीं होगी और इसकी लागत आस्ति के पूंजी लागत के अवक्षयणीय मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित की जाएगी।

(4) अवक्षयण, स्ट्रेट लाइन पद्धति और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट III में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।

(5) पूर्णतया अवक्षयित आस्तियों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(6) उन आस्तियों, जो प्रयुक्त नहीं हैं, या अप्रचलित घोषित की गई हैं के मूल्य को अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए पूंजी लागत से बाहर रखा जाएगा।

(7) 1.4.2014 को शेष अवक्षयणीय मूल्य संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी की लेखा बहियों में प्रस्तुत आस्तियों के सकल अवक्षयणीय मूल्य से संचयी अवक्षयण की कटौती करते हुए निकाला जाएगा।

(8) संबंधित आरएलडीसी के संबंध में आस्तियों के अवपूँजीकरण के मामले, में संचयी अवक्षयण इसकी उपयोगी सेवाओं के दौरान अवपूँजीगत आस्ति द्वारा टैरिफ में वसूल किए गए अवक्षयण को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा।

20. प्रचालन और रखरखाव खर्च:

(1) प्रचालन और रखरखाव खर्च (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर), संपरीक्षित तुलन पत्रों के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 वर्षों के लिए वास्तविक प्रचालन और रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। प्रचालन और रखरखाव खर्च आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य प्रचालन और रखरखाव खर्च, दान, मालसूची में हानि, अवधि पूर्व समायोजन, बट्टे खाते डाले गए दावे तथा अग्रिम, प्रावधानों इत्यादि, यदि कोई हो, को छोड़कर सामान्यकृत किए जाएंगे।

(2) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत प्रचालन और (रखरखाव खर्चों में) क्रमशः 2013-14 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए 5.72 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी और फिर 2013-14 के कीमत स्तर पर 2009-10 से 2013-14 के लिए सामान्यकृत औसत प्रचालन और रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत होंगे। 2013-14 की कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड (4) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर वृद्धि होगी ताकि वर्ष 2014-15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्च निकाले जा सकें।

(3) वर्ष 2014-15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों में इस विनियम के खंड 4 के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि होगी ताकि नियंत्रण अवधि के पश्चात् वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन और रखरखाव खर्च प्राप्त किए जा सकें।

(4) वृद्धि दर संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रास्फीति दर, ओएंडएम खर्चों के सुव्यवस्थीकरण और अन्य घटकों, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।

(5) प्रज्ञावान जांच के बाद स्काडा प्रणाली की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वास्तविक व्यय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रचालन और रखरखाव खर्च प्राप्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

21. मानव संसाधन खर्च : (1) मानव संसाधन खर्च, संपरीक्षित तुलन पत्रों पर आधारित 2009-10 से 2013-14 वर्ष के लिए वास्तविक मानव संसाधन खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न किए जाएंगे। मानव संसाधन खर्च आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के बाद प्रसामान्य मानव संसाधन खर्चों एक्सप्रेशिया, वीआरएस व्यय, अवधिपूर्व समायोजन, दावे और बट्टे खाते डाले गए दावे और अग्रिम, प्रावधान इत्यादि, यदि कोई हो, को अपवर्जित करते हुए सामान्यकृत किए जाएंगे।

परंतु यह कि डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार संगणित कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन को इन विनियमों के विनियम 29 के उपखंड (5) के अनुसार अनुज्ञात प्रोत्साहन से पूरा किया जाएगा।

(2) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए प्रज्ञावान जांच के बाद सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में क्रमशः 5.72 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होगी ताकि 2013-14 के कीमत स्तर पर सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचा जा सके और तब 2013-14 के कीमत स्तर पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए सामान्यकृत औसत मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत हों सकें।

(3) वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित मानव शक्ति वर्ष 2014-15 के लिए मानव संसाधन खर्चों की संगणना के लिए आधार होगी। उसके बाद पश्चातवर्ती वर्षों के लिए, मानव संसाधन खर्चों में वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि होगी।

(4) वर्ष 2013-14 के कीमत स्तर के औसत सामान्यकृत मानव संसाधन खर्चों में वृद्धि, वर्ष 2014-15 के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्चों के लिए इस विनियम के खंड (6) के अनुसार निकाली गई वृद्धि दर पर होगी।

(5) वर्ष 2014-15 के लिए मानव संसाधन खर्चों में नियंत्रण अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों पर पहुंचने के लिए इस विनियम के खंड (6) के अनुसार निकाली गई वार्षिक वृद्धि दर पर और वृद्धि की जाएगी।

परंतु यह कि 01.01.2017 से आगे मानव संसाधन खर्चों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी लागत में 50 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने के बाद सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चें निकाले जा सकें।

(6) वृद्धि दर, संयोजित वार्षिक विकास दर, मुद्रा स्फीति दर, मानव संसाधन एवं अन्य घटका के सुव्यवस्थीकरण, यदि कोई है, पर विचार करते हुए निकाली जाएगी।

(7) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की मानव शक्ति में प्रत्याशित वृद्धि की लागत पर भी प्रज्ञावान जांच के बाद विचार किया जाएगा।

22. कार्य पूंजी पर ब्याज

(1) कार्य पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) एक मास के लिए प्रचालन एवं रखरखाव खर्च (मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर)

(ii) एक मास के लिए मानव संसाधन।

(iii) एक मास के लिए एनएलडीसी प्रभार।

(iv) आयोग द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक प्रभारों के दो मास के समतुल्य प्राप्य।

(2) कार्य पूंजी पर ब्याज दर मानकीय आधार पर होगी और 01.04.2014 को यथाविद्यमान बैंक दर के रूप में मानी जाएगी।

(3) कार्य पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदेय होगा कि ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्य पूंजी के लिए कोई ऋण नहीं लिया है।

23. एनएलडीसी प्रभार और निगमित कार्यालय खर्च :

(1) लागू सीमा तक एनएलडीसी प्रभारों को, कार्य पूंजी पर ब्याज को छोड़कर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के वार्षिक प्रभारों की संगणना के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति का अनुपालन करते हुए संगणित किया जाएगा।

(2) उपगत वास्तविक खर्चों के अनुसार संगणित निगमित कार्यालय खर्चों को प्रज्ञावान जांच के बाद आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) एनएलडीसी के सभी खर्चों और आयोग द्वारा अनुमोदित निगमित कार्यालय खर्चों को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सीईए की वेबसाइट में यथानिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र में दी गई पीक मांग (मेगावाट में) के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में संविभाजित किया जाएगा।

24. आकरिमक खर्च—(1) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार तथा आरईसी प्रभारों आदि जैसी अन्य आय के लिए पृथक लेखा रखेगी।

(2) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी ऐसी आय का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में कमी की पूर्ति के लिए, यदि कोई है, या आकरिमक व्ययों की पूर्ति के लिए जिसे फीस और प्रभारों के लिए आवेदन करते समय नहीं देखा गया था और दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिए आवश्यक समझा गया है, करेगी।

(3) शेष रकम, सांविधिक कर अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद एलडीसी विकास निधि में जमा कराई जाएगी।

अध्याय 6

फीस की संगणना और भुगतान, प्रणाली प्रचालन

और बाजार प्रचालन प्रभार

25. **रजिस्ट्रीकरण फीस**—फीस बाजार प्रचालन के लिए अनुसूचीकरण के आरंभ एवं प्रणाली प्रचालन के लिए ग्रिड पहुंच के आरंभ से पूर्व पावर एक्सचेंजों और विद्युत व्यापारियों सहित प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिदेय होगी। संदेय फीस निम्नानुसार है:

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड पहुंच के आरंभ के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 लाख रुपए की एक बार रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेंगे।

परंतु यह कि संबंधित आरएलडीसी को ग्रिड के साथ समक्रमिक पारेषण घटकों की अभिवृद्धियों के बारे में अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा और अतिरिक्त क्षमता टाईअप के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित आरएलडीसी द्वारा रिकार्ड को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए समय समय पर सूचित किया जाएगा।

- (2) उत्पादन कंपनियां निम्नानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगी:

- क. 10 मेगावाट संस्थापित क्षमता तक उत्पादन केन्द्र के लिए : 0.50 लाख रुपए;
ख. 10 मेगावाट से अन्धून तथा 100 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र : 1.0 लाख रुपए;
ग. 100 मेगावाट से अन्धून और 2000 मेगावाट तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र : 5.0 लाख रुपए; और
घ. 2000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र : 10.0 लाख रुपए :

परंतु यह कि, उत्पादन केन्द्र या उसके चरण की समग्र क्षमता पर, जिसका अनुसूचीकरण, मीटरिंग और ऊर्जा लेखा पृथक रूप में किया गया है, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण के समय पर रजिस्ट्रीकरण फीस के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

परंतु यह और कि उत्पादन कंपनियां उत्पादन केन्द्र या उसके चरण के मामले में कमीशन की गई अतिरिक्त क्षमता के बारे में संबंधित आरएलडीसी को सूचित करेंगी।

- (3) अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता और क्रेता बाजार प्रचालन के अनुसूचीकरण को आरंभ करने के लिए आवेदन आवेदन पत्र के साथ 10000/- रुपए (दस हजार रुपए मात्र) की एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगे।

- (4) पावर एक्सचेंज एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 20.0 लाख (बीस लाख रुपए) का संदाय करेंगे।

26. **प्रणाली प्रचालन प्रभारों की संगणना और भुगतान** (1) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएंगी:

$$\text{एसओसी (पारेषण)} = (10\%) \{ (70\% \times \text{एफसी} / (\text{सीकेटी} - \text{केएम})) \} / 12$$

जहां, एफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार;

सीकेटी-केएम = बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को कुल अंतरराज्यिक पारेषण लाइनों की लंबाई :

परंतु यह कि वैयक्तिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को उक्त अवधारित दरों के आधार पर संगणित किया जाएगा और संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा प्रचालित पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी-केएम) में संगणित की जाएगी।

2. उत्पादन कंपनियों और विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर वसूल की जाएंगी।

$$\text{एसओसी (उत्पादन या विक्रेता)} = (45\%) (70\% \times \text{एफसी} / \text{आईसी}) / 12$$

जहां

एफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार;

आईसी = उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता और विक्रेताओं की संविदात्मक क्षमता जिनका अनुसूचीकरण और ऊर्जा लेखा बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है:

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनियों या विक्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों को उक्त निर्धारित दरों के और उत्पादन केन्द्र या विक्रेताओं की संबंधित क्षमता के आधार पर संगणित किया जाएगा।

3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा क्रेताओं के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों की दरें वार्षिक आधार पर संगणित की जाएंगी और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार कुल संविदात्मक क्षमता को ध्यान में रखने के बाद मासिक आधार पर वसूल की जाएंगी:

$$\text{एसओसी (वितरण या क्रेता)} = (45\%) (70\% \times \text{एफसी} / (\text{सीसी})) / 12$$

जहां

एफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार ;

सीसी = वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं द्वारा कुल दीर्घकालिक या मध्यकालिक संविदात्मक क्षमता जिसका अनुसूचीकरण और लेखा बिलिंग के मास के पूर्व मास के अंतिम दिन को संबंधित आरएलडीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है:

परंतु यह कि, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा क्रेताओं से प्रणाली प्रचालन प्रभार मास की बिलिंग के पूर्व मास के अंतिम दिन को उनके, यथास्थिति, आवंटनों तथा संविदात्मक क्षमताओं की धनराशि के अनुपात में संगृहित किए जाएंगे।

4. संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रणाली प्रचालन प्रभारों के संग्रहण के लिए नोडल एजेंसी होगी यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में पारस्परिक करार कर लेते हैं। प्रणाली प्रचालन प्रभारों के निष्पादन के बाद, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के खाते में उसे जमा करेगा।

27. **बाजार प्रचालन प्रभारों की संगणना और भुगतान.**—(1) उत्पादन केन्द्रों, विक्रेताओं, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, और क्रेताओं के लिए बाजार प्रचालन प्रभारों को वार्षिक आधार पर संगणित किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सीटीयू या अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को हिसाब में लेने के बाद मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा:

$$\text{एमओसी (अनुसूचीकरण)} = 0.5\% \times (30\%) \times (\text{एफसी} / (\text{सीसी})) / 12$$

जहां,

एफसी = विनियम 14 के अनुसार संगणित वार्षिक प्रभार;

सीसी = बिलिंग अवधि के संबंधित मास के अंतिम दिन को सीटीयू या अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई कुल दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच।

(2) संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य में बाजार प्रचालन प्रभारों के संग्रहण के लिए नोडल एजेंसी होगी यदि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में पारस्परिक करार कर लेते हैं। संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की ओर से राज्य के अंदर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से बाजार प्रचालन प्रभारों का संग्रहण करेगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के खाते में जमा करेगा।

28. **राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार और निगमित कार्यालय खर्च**

आयोग द्वारा यथाअनुमोदित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और निगमित कार्यालय के सभी खर्चों को संबंधित क्षेत्रों में दी गई मांग के आधार पर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों में संविभाजित किया जाएगा।

अध्याय 7

कार्यनिष्पादन संकेतक

29. **आरएलडीसी और एनएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन** (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रोत्साहन की वसूली परिशिष्ट v में या आयोग द्वारा विहित ऐसे अन्य पैरामीटरों में यथाविनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक की उपलब्धि पर आधारित होगी।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र परिशिष्ट v में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार वार्षिक आधार पर आयोग को प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों के लिए इसके वार्षिक कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करेगा।

(3) एनएलडीसी, आयोग के अनुमोदन के लिए पद्धति सहित परिशिष्ट v में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रत्येक प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग परिशिष्ट v में विनिर्दिष्ट भारित के आधार पर, यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी, के समुच्चय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करेगा। आयोग, यदि अपेक्षित हो, प्रणाली प्रचालक के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह की ईप्सा कर सकता है।

(5) यथास्थिति, आरएलडीसी या एनएलडीसी को 1.4.2014 से आरंभ होने वाले 3 वर्षों के लिए 85 प्रतिशत के कुल कार्यनिष्पादन स्तर के लिए और 1.4.2017 से 90 प्रतिशत के कुल कार्यनिष्पादन स्तर के लिए वार्षिक प्रभार के 7 प्रतिशत के प्रोत्साहन को वसूल करना अनुज्ञात किया जाएगा। इस प्रोत्साहन में उक्त 90 प्रतिशत के कार्यनिष्पादन के ऊपर प्रत्येक 5 प्रतिशत वृद्धि के लिए वार्षिक प्रभारों के 1 प्रतिशत तक वृद्धि होगी:

परंतु यह कि प्रोत्साहन में, 85 प्रतिशत के नीचे कार्यनिष्पादन की प्रत्येक 3 प्रतिशत कमी के लिए समानुपातिक रूप में वार्षिक प्रभारों के 1 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी।

(6) आरएलडीसी या एनएलडीसी, 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को संगणित करेंगे और इन विनियमों के परिशिष्ट V और परिशिष्ट VI के अनुसार आयोग के अनुमोदन के लिए याचिकाओं के साथ आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

परंतु यह कि 31 मार्च को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को प्रत्येक वर्ष को प्रोत्साहन वसूल करने के लिए विचार किया जाएगा और नियंत्रण अवधि के अंत में द्रयूप किया जाएगा।

30. आरएलडीसी और एनएलडीसी के कर्मचारियों को प्रमाणन संबद्ध प्रोत्साहन.—(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के कर्मचारियों को, जो अपने संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्रों में बुनियादी स्तर और विशेषज्ञता स्तर का प्रमाण-पत्र अर्जित करते हैं और प्रणाली प्रचालन या बाजार प्रचालन में नियोजित किए जाते हैं, निम्नलिखित पैरामीटरों के अनुसार इस प्रकार के प्रमाणपत्र अवधि चालू रहने के दौरान नियत प्रोत्साहन की अनुमति होगी:

क्र.सं.	प्रमाणन स्तर	नियत प्रोत्साहन (रुपए में रकम) (मासिक)
1.	बुनियादी स्तर	5000
2.	विशेषज्ञता स्तर	7500

(2) प्रमाणन संबद्ध प्रोत्साहन विनियम 29 में यथाविनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।

अध्याय 8

बिलिंग एवं अन्य प्रकीर्ण उपबंध

31. बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतान.—(1) बिलों को इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा मासिक आधार पर प्रणाली प्रचालन प्रभार और बाजार प्रचालन प्रभार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और भुगतान प्रयोक्ताओं द्वारा ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

(2) आरएलडीसी/एनएलडीसी फीस एवं प्रभारों के भुगतान में लगातार चूक आयोग के नोटिस में लाई जाएगी।

32. विलंब से भुगतान पर अधिभार.—यदि इन विनियमों के अंतर्गत संदेय प्रभारों के लिए किसी बिल के भुगतान में बिलिंग की तारीख से 60 दिनों की अवधि के आगे प्रयोक्ता द्वारा विलंब होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर पर विलंब भुगतान पर अधिभार प्रयोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

33. हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार की वसूली.—हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार की वसूली आयोग के समक्ष किसी आवेदन के बिना प्रयोक्ताओं से आरएलडीसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी।

परंतु यह कि हेजिंग की लागत या विदेशी विनिमय दर फेरफार के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा किसी आपत्ति की स्थिति में आरएलडीसी निर्णय के लिए आयोग के समक्ष समुचित आवेदन कर सकता है।

34. छूट.—बिलों के जारी होने की तारीख से 7वें दिन तक (अर्थात् टी+6 दिन) (जहां टी बिल जारी होने की तारीख है) तक आरटीजीएस, एनईएफटी, साखपत्र या चेक के माध्यम से चुकाई गई सकल बिल रकम पर आरएलडीसी या एनएलडीसी द्वारा दो प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) एक प्रतिशत की छूट की तब अनुज्ञात होगी जब भुगतान, बिल के जारी होने से टी+7 से टी+30 दिनों तक किया गया हो।

(iii) बिलों के जारी होने की तारीख से टी+31 दिनों से टी+60 दिनों तक किए गए भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

35. शिथिल करने की शक्ति.—लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए आयोग स्वयं या एनएलडीसी/आरएलडीसी/प्रयोक्ताओं द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर ऐसे शिथिलीकरण से प्रभावित होने के लिए संभावित व्यक्तियों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

36. कठिनाई को दूर करना.—यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है जो अधिनियम या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियम के उपबंधों के असंगत न हों तथा इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

एम. के. आनंद, प्रमुख (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./150/15(156)]

परिशिष्ट 1

टैरिफ फाइल करने के फार्म (एनएलडीसी/आरएलडीसी)

अनुक्रमणिका

एनएलडीसी/आरएलडीसी के लिए टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप और अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप संख्या	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (आरएलडीसी)	टिक
प्ररूप-1	सारांश शीट	
प्ररूप-2	टैरिफ की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर	
प्ररूप-3	1.4.2019 को स्वीकृत पूंजी लागत का सार	
प्ररूप-4क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और केपेक्स और रेपेक्स को आरंभ करने की अनुसूची का सार	
प्ररूप-4ख	पूंजी लागत के तत्त्ववार ब्यौरे	
प्ररूप-4ग	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप-4घ	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-4ङ	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप-4च	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-4छ	चालू पूंजी संकर्म का विवरण	
प्ररूप-4ज	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-4झ	विदेशी इक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप-5क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-5ख	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना ¹	
प्ररूप-5ग	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5घ	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-5ङ	विभिन्न आरएलडीसी को कॉरपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-6क	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-6ख	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-7क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे	
प्ररूप-7ख	मानव संसाधन के ब्यौरे	
प्ररूप-7ग	मरम्मत तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-7घ	प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे	
प्ररूप-8	कार्य पूंजी पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-9	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए झा डाउन अनुसूची	
प्ररूप-10	वास्तविक नकद व्यय	
प्ररूप-11	एलडीसी विकास निधि का वर्षवार विवरण (प्रोजेक्टिड)	
प्ररूप-10	अन्य आय	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.स.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	आरएलडीसी और एनएलडीसी/निगमित कार्यालय के लिए सभी अनुसूचियों और अनुबंध सहित संपरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ और हानि खाते।	
2.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियां	
3.	(क) पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां (ख) बोर्ड के अनुमोदन, प्राक्कलित पूंजी लागत और औचित्य सहित केपेक्स एवं रेपेक्स योजना।	
4.	(क) विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां (ख) बोर्ड के अनुमोदन सहित एलडीसी विकास निधि से ईक्विटी अंशदान	
5.	व्यष्टिक परियोजनाओं और स्कीमों, यदि लागू हो, की अधिक लागत और समय के कारणों को बताते हुए विस्तृत टिप्पण	
6.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण 1.—याचिका की इलेक्ट्रॉनिक प्रति (वर्ड्स फारमेट में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट में) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

प्ररूप-1

सारांश शीट

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाख में)

क्र.स.	विशिष्टियां	प्ररूप नं.	वर्तमान 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	रिटर्न आन ईक्विटी							
2.	ऋण पूंजी पर ब्याज							
3.	अवक्षयण							
4.	प्रचालन और रख-रखाव खर्च, मानव संसाधन को छोड़कर							
5.	मानव संसाधन खर्च							
6.	एनएलडीसी प्रभार तथा कारपोरेट कार्यालय खर्च							
7.	कार्य पूंजी पर ब्याज							
	कुल							

* संगणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार की गई ईक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं।

(याचिकाकर्ता)

प्ररूप-2

वार्षिक प्रभारों की संगणना करने के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम :

विशिष्टियां	यूनिट	यथा विद्यमान	नियंत्रण अवधि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ईक्विटी पर रिटर्न की आधार दर	%						
कर दर	%						
कार्य पूंजी के लिए मास में प्राप्य	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में ओएंडएम खर्च, मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में मानव संसाधन खर्च	मास में						
कार्य पूंजी के लिए मास में एनएलडीसी प्रभार	मास में						
(तारीख) को भारतीय स्टेट बैंक की उधार दर	%						

याचिकाकर्ता

प्ररूप-3

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
.....को स्वीकृत पूंजी लागत	
(केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सुसंगत आदेश का याचिका सं० और तारीख सहित संदर्भ)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यूएस \$ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार की गई विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रुपए करोड़ में)	

याचिकाकर्ता

प्ररूप-4क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

नई परियोजना

पूंजी लागत प्राक्कलन

पूंजी लागत प्राक्कलन को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
पूंजी लागत प्राक्कलों के अनुमोदन की तारीख		
	वर्तमान दिन लागत	संपूर्ण लागत
अनुमोदित प्राक्कलों का कीमत स्तरवर्ष.....तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार की गई विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यूएस \$ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर। (रुपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यूएस\$ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)		
कुल आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत (रुपए करोड़ में)		
विचार किए गए करों और शुल्कों की दर		

पूजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रुपए करोड़ में)		
पूजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है (रुपए करोड़ में)		
आस्तियों की कमीशनिंग की अनुसूची		
टिप्पणः		
1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।		
2. पूजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 4ख या 4ग के अनुसार दिए जाने हैं।		
3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 9 के अनुसार दिए जाने हैं।		

यायिकाकर्ता

प्ररूप — 4ख

पूजी लागत के तत्त्ववार ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

क्र.स.	ब्रेक डाउन	लागत करोड़ रुपए में			परिवर्तन	परिवर्तन के कारण	स्वीकृत लागत
		मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार	दायित्व/उपबंध			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-4-5)	(7)	(8)
क.	प्रारंभिक संकर्म तथा भूमि						
1.1	डिजाइन तथा इंजीनियरिंग						
1.2	भूमि						
1.3	स्थल तैयारी						
1.0	कुल आरंभिक संकर्म एवं भूमि						
ख	सिविल संकर्म						
2.1	नियंत्रण कक्ष तथा कार्यालय भवन जिसमें एचवीएसी भी है						
2.2	टाउनशिप तथा कालोनी						

2.3	सड़कें तथा जल निकासी							
2.4	संरचना के लिए नींव							
2.5	प्रकीर्ण सिविल संकर्म							
2.0	कुल सिविल संकर्म							
ग.	उपस्कर							
3.1								
3.2								
3.3								
3.0	कुल उपस्कर							
घ	पुर्जें							
4.1								
4.2								
4.3								
4.0	कुल पुर्जें							
ङ	कर और शुल्क							
5.1	सीमा शुल्क							
5.2	अन्य कर और शुल्क							
5.0	कुल कर और शुल्क							
च	संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय							
6.1	स्थल पर्यवेक्षण एवं स्थल प्रशासन आदि							
6.2	औजार और संयंत्र							
6.3	संनिर्माण बीमा							

6.0	कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय						
छ	मुख्य शीर्ष						
7.1	स्थापना						
7.2	संपरीक्षा और लेखा						
7.3	आकस्मिक						
7.0	कुल मुख्य शीर्ष						
8.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत को छोड़कर, पूंजी लागत						
ज	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत						
9.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)						
9.2	वित्तीय प्रभार(एफसी)						
9.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)						
9.4	हेजिंग लागत						
9.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी, और हेजिंग लागत का योग						
10.0	पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है।						
टिप्पण: अधिक समय और लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए और चाहे अधिक समय और लागत ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी के नियंत्रण से परे हों या नहीं प्रस्तुत करना चाहिए।							

याचिकाकर्ता

प्ररूप-4ग

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों का ब्यौरा

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

क्र. स.	नाम/ संनिर्माण/ सं/प्रदाय/ सेवा पैकेज	कार्य की परिधि (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/डीसीबी/ विभागीय/ निरोप कार्य के यन्त्रयम से प्रदान किया गया है और प्राप्त बोलियों की संख्या	प्राप्त बोलों की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य आरंभ करने की तारीख	कार्य पूरा करने की तारीख	कार्य का मूल्य (रुपए करोड़ में)	कीमत में फर्म या वृद्धि सहित	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो तक वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)	कर तथा शुल्क और आईईडीसी	आईडीसी, एफसी, एफआईआरडी और हेजिंग लागत	उप जोड़

किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि को संभावित सीमा तक प्ररूप 4ख में लागत ब्यौरों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

² यदि यहां कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किया जाना हो तो उसे करैन्सी, विनिमय दर और तारीख सहित अर्थात् 1.4.2009 की तरह रुपए 80 करोड़ + यूएस \$ 50 मि = यूएस \$ पर 320 करोड़ रुपए = 48 रुपए को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

प्ररूप-4घ

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

1.4.2014 को परियोजना लागत:

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

(लाख रुपए में)

यथाअनुमोदित वित्तीय पैकेज			1.4.2014 को वित्तीय पैकेज		1.4.2014 को यथास्वीकृत	
मुद्रा और रकम			मुद्रा और रकम		मुद्रा और रकम	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस \$	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
इक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल इक्विटी						
उधार:						
इक्विटी अनुपात						

¹ अर्थात् यूएस \$ 200 मि + 400 करोड़ रुपए या 1 यूएस \$ = 48 रु की विनिमय दर पर 1360 करोड़ रुपए जिसमें यूएस 200 मि. भी है ² वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्राय आरएलडीसी का वाणिज्यिक प्रचालन है। ³ उदाहरणार्थ: यूएस \$ 200 मि आदि।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-4ड

1.4.2014 के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी

क्र.स.	वर्ष	1.4.2014 के बाद जोड़े जाने वाले प्रस्तावित कार्य/उपस्कर	पूँजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	प्रस्ताव के अनुसार न्यायोचित	वह विनियम जिसके अधीन सम्मिलित है	स्वीकृत लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

आ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड़/समायोजन	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आरंभ का पूंजीकरण/अंतरण	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफआईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीख से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ और समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप 4ज

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम:

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष (1.4.2014 से आरंभ)	प्रक्षेपित/वास्तविक					स्वीकृत				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/उपस्कर में पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उनसे आगे										
कुल ऋण										
इक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

- वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष हैं।
- अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररूप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 4अ

विदेशी इक्विटी के ब्यौरे

(केवल इक्विटी इन्फ्यूजन के संबंध में ब्यौरे यदि याचिका के अंतर्गत परियोजना के लिए कोई लागू है।)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

इन्फ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	वर्ष				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु)
	मुद्रा ¹												
क.	इन्फ्यूजन की तारीख												
1	पर ²												
2													
ख	मुद्रा ²												
1													
2													
	मुद्रा ³												
क.	इन्फ्यूजन की तारीख												
1	पर ²												
2													
ख	मुद्रा ⁴ और उससे आगे												
1	इन्फ्यूजन की तारीख												
	पर ²												
2													

¹मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस \$ डीएम आदि। ²वर्ष के दौरान एक से अधिक बार इक्विटी इन्फ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इन्फ्यूजन की तारीख पर विनिमय दर दी जाए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-5क

मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियां	वर्तमान 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
सकल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
शुद्ध मानकीय ऋण- अंतिम						
औसत मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्ररूप-5ख

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना¹

एनएनडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रुपए लाखों में)

क्र. स.	विशिष्टियां	वर्तमान 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	2	3	4	5	6	7	7
	ऋण -1						
	सकल ऋण- आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण-आरंभिक						
	जोड़े: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाए: वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	शुद्ध ऋण- अंतिम						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय						
	ऋण-2						
	सकल ऋण- आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						

शुद्ध ऋण—आरंभिक							
जोड़े वर्ष के दौरान निकासी							
घटाएँ वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय							
शुद्ध ऋण— अंतिम							
औसत शुद्ध ऋण							
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर							
ऋण पर ब्याज							
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय							
ऋण -3 और उससे आगे							
सकल ऋण— आरंभिक							
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय							
शुद्ध ऋण—आरंभिक							
जोड़े वर्ष के दौरान निकासी							
घटाएँ वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय							
शुद्ध ऋण— अंतिम							
औसत शुद्ध ऋण							
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर							
ऋण पर ब्याज							
(तारीख उपदर्शित की जानी है) से प्रभावी ऋण प्रतिसंदाय							
कुल ऋण							
सकल ऋण— आरंभिक							
पिछले वर्षों तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय							
शुद्ध ऋण—आरंभिक							
जोड़े वर्ष के दौरान निकासी							
घटाएँ वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय							
शुद्ध ऋण— अंतिम							
औसत शुद्ध ऋण							
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर							
ऋण पर ब्याज							
ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर							

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, मूल मुद्रा की संगणना भी इसी प्ररूप में पृथक रूप से प्रस्तुत की जानी है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-5ग

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

1.4.2014 को विनिमय दर

(रकम लाखों में)

क्र. स.	वित्तीय वर्ष (1.4.2014 से आरंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रु.)
	मुद्रा ¹												
क.	निकासी की तारीख पर ²												
1													
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख.	हेजिंग की दशा में ³												
1	हेजिंग की तारीख पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा ²												
क.	निकासी की तारीख पर ²												
1													
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख.	हेजिंग की दशा में ³												
1	हेजिंग की तारीख पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा ³ और उससे आगे												
क.	निकासी की तारीख पर ²												
1													
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख.	हेजिंग की दशा में ³												
1	हेजिंग की तारीख पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												

- मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस \$ डीएम आदि में उल्लिखित किया जाना है।
- वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है।
- वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, समर्थनकारी दस्तावेजों सहित दिए जाने हैं।

नोट : 1) यथा लागू कर (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित हैं, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 5घ

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

एलएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियाँ	पैकेज 1	पैकेज 2	पैकेज 3	पैकेज 4	पैकेज 5	पैकेज 6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत ¹						
मुद्रा ²						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम ^{3,4,5,13,15}						
ब्याज के प्रकार ⁶						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि फ्लोटिंग ब्याज है ⁷						
मार्जिन, यदि फ्लोटिंग ब्याज है ⁸	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
क्या कोई कैप्स/फ्लोर है ⁹						
यदि उपरोक्त हां है तो कैप्स/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि ¹⁰						
से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि ¹¹						
से प्रभावी प्रतिसंदाय						
प्रतिसंदाय आवृत्ति ¹²						
प्रतिसंदाय किस्त ^{13,14}						
आधारिक विनिमय दर ¹⁵						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ¹⁶						

1. ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसी, पीएफसी आदि।
2. ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस \$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि।
3. विद्यमान आस्तियों के लिए ब्यौरे 31.3.2014 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने हैं।
4. जहां ऋण पुनर्वित्त किया गया है, वहां पुनर्वित्त ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं। तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं।
5. ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या फ्लोटिंग है, अभिप्रेत है।
6. आधारिक दर से बैंक, एलआईबीओआर आदि द्वारा विनिर्दिष्ट आधारिक दर अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है। निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधार दर को भी संलग्न किया जाए।
7. मार्जिन से फ्लोटिंग दर से अधिक और ऊपर बिंदु अभिप्रेत है।
8. उस समय कैप्स/फ्लोर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसमें फ्लोटिंग दरें फ्रोजन हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो सीमाओं का उल्लेख करें।
9. विलंबन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण, सर्विसिंग दायित्व अपेक्षित नहीं है।
10. प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है।
11. प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत है जिस पर ऋण सर्विसिंग मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक आदि के रूप में दी जानी होती है।
12. जहां ऋण की निकासी/प्रतिसंदाय एक से अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की रकम और तारीख अलग से दी जाए।
13. यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए।
14. विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए।
15. आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2014 को शेष आस्तियों के लिए 1.4.2014 (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है।
16. हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।
17. ट्रेडिंग अप के समय, सुसंगत पुनः नियत तारीख (यदि कोई है) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है।
18. ट्रेडिंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुनर्वित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें। उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण की रकम, पुनर्वित्त ऋण के निबंधन एवं शर्तें, पुनर्वित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-5ड

विभिन्न आरएलडीसी के लिए निगमित ऋणों के आबंटन के ब्यौरे
एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम

(रुपए लाखों में)

विशिष्टियाँ	पैकेज 1	पैकेज 2	पैकेज 3	पैकेज 4	पैकेज 5	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत ¹						
मुद्रा ²						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए सकल ऋण की रकम ^{3,4,5,13,15}						
ब्याज का प्रकार ⁶						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि फ्लोटिंग ब्याज हो ⁷						
मार्जिन, यदि फ्लोटिंग ब्याज हो ⁸						
क्या कोई कैप्स/फ्लोर है ⁹	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
यदि उपरोक्त हां है, तो कैप्स/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि ¹⁰						
.....से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि ¹¹						
.....से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति ¹²						
प्रतिसंदाय किरत ^{13,14}						
आधारिक विनिमय दर ¹⁶						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो, तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें ¹⁷						
विभिन्न पारेषण स्कीमों के लिए ऋण का संवितरण						
पूर्वी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
पश्चिमी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
उत्तरी क्षेत्र						

स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
दक्षिणी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
स्कीम 1						
स्कीम 2 और उससे आगे						
कुल						
आरएलडीसी						
कुल						

1. ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसी, पीएफसी आदि।
2. ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट जैसे यूएस\$ डीएम, येन भारतीय रुपए आदि।
3. विद्यमान आस्तियों के लिए ब्यौरे 31.3.2014 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे।
4. जहां ऋण पुनर्वित्त किया गया है, वहां पुनर्वित्त ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं। तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं।
5. यदि विभिन्न यूनितों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनितों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं।
6. ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या फ्लोटिंग है, अभिप्रेत है।
7. आधारिक दर से बैंक, एलआईबीओआर आदि के द्वारा विनिर्दिष्ट आधारिक दर अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है। निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों को लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए।
8. मार्जिन से फ्लोटिंग दर से अधिक और ऊपर बिन्दु अभिप्रेत है।
9. उस समय कैप्स/फ्लोर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसमें फ्लोटिंग दरे फ्रोजन हो जानी है। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो सीमाओं का उल्लेख करें।
10. विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण सर्विसिंग दायित्व अपेक्षित नहीं है।
11. प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है।
12. प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत है जिस पर ऋण सर्विसिंग मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है।
13. जहां ऋण निकासी/प्रतिसंदाय एक से अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए।
14. यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए।
15. विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए।
16. आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2014 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रलाचन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है।
17. हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।

18. ट्रेडिंग अप के समय, सुसंगत पुनः नियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

19. ट्रेडिंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुनर्वित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें। उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिससे पुनर्वित्त किया गया है, पुनर्वित्त ऋण की रकम, पुनर्वित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुनर्वित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 6क

अवक्षयण का विवरण

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
पूजी लागत का अवक्षयण						
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षयण						
अवपूजीकरण या आस्तियों को बड़े खाते डालने के कारण कटौती किया गया संघयी अवक्षयण						
संघयी अवक्षयण एवं वर्ष तक वसूल किया गए अवक्षयण पर अग्रिम						

प्ररूप-6ख

अवक्षयण दर की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	आस्तियों के नाम	31.3.2014 को सकल ब्लॉक जो गी बाद में हो और तदनंतर 31.3.2019 तक उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए	केविदिआ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2019 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2x3
1.	भूमि			
2.	भवन			
3.	और उससे आगे			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	कुल			
	अवक्षयण की मासित औसत दर (%)			

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के वितरण के अनुसार होंगे।

याचिकाकर्ता

प्ररूप — 7क

प्रचालन तथा रखरखाव खर्च मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर, के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रुपए लाखों में)

	मदें	2009-10	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
	1	2	3	4	5	6
1.	मरम्मत तथा रखरखाव खर्च					
2.	प्रशासनिक तथा साधारण खर्च, आदि					
3.	कुल					

- टिप्पण : 1 संलग्न प्ररूपों के अनुसार इन व्ययों के ब्यौरे
 2 सभी आरएलडीसी एनएलडीसी तथा कारपोरेट कार्यालय के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-7 ख

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

मानव संसाधन खर्चों के ब्यौरे

अवधि

1. पूर्व पांच वर्षों के लिए वास्तविक
2. चालू वर्ष के पहले छह मास के लिए वास्तविक
3. चालू वर्ष के अंतिम छह मास के लिए प्रत्याशित
4. आगामी वर्ष के लिए प्रत्याशित

क्र. सं.	लेखा कोड	विशिष्टियां	कार्यपालक		गैर कार्यपालक		कुल
			तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	
1.	वेतन						
2.	अतिकाल भत्ता						
3.	महंगाई भत्ता						
4.	अन्य भत्ता						
5.	बोनस						
6.	उत्पादकता लिंक प्रोत्साहन						
7.	उप योग (1 से 6)						
	अन्य कर्मचारिवृद्ध लागत						
8.	चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति						
9.	छुट्टी यात्रा रियायत						
10.	मकान किराए की प्रतिपूर्ति						
11.	कर्मचारिवृद्ध को अंतिम राहत						
12.	अर्जित छुट्टी का भुनाना						
13.	मानदेय						
14.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन संदाय						
15.	एक्से-ग्रेसिया						
16.	वीआरएस पर व्यय						
17.	उप योग (8 से 16 तक)						
18.	कर्मचारिवृद्ध कल्याण खर्च						
19.	टर्मिनल फायदे						
20.	प्रावधान						
21.	अन्य(विनिर्दिष्ट करे)						
22.	कुल (7+17+18+19+20+21)						
23.	वसूला गया राजस्व, यदि कोई हो						
24.	शुद्ध योग (22-23)						
	अतिरिक्त जानकारी						
1.	को कर्मचारियों की संख्या						
	(i) कार्यपालक						

	(ii) गैर-कार्यपालक						
	(iii) कुशल						
	(iv) गैर कुशल						
	कुल						
2.	निम्नलिखित के अनुसार कर्मचारियों की संख्या						
	(i) संचालित मेगावाट						
	(ii) संचालित एमकेडब्ल्यूएच						

- (1) दिए गए शीर्ष के अधीन एचआर व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि को समुचित औचित्य सहित वर्णन किया जाना चाहिए।
- (2) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए।
- (3) वर्ष 2013-14 की पूर्व अवधि से संबंधित बकायों के ब्यौरे यदि कोई हो, पृथक् रूप से दर्शित किए जाने चाहिए।
- (4) प्रत्येक वर्ष के दौरान वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को उपदर्शित किया जाना चाहिए।
- (5) असामान्य खर्चों के ब्यौरों को, यदि कोई हो, पृथक् रूप से दर्शित किया जाना चाहिए।
- (6) वेतन पुनरीक्षण/बकायों के मद्दे 2008-09, 2009-14(वर्षवार) के दौरान कर्मचारी लागत से मासिकवार उपबंध किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता

प्ररूप-7ग

मरम्मत और रखरखाव खर्चों के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

मरम्मत एवं रखरखाव खर्चें(वास्तविक)

क्र.सं.	विशिष्टियां	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	चालू वित्तीय वर्ष			आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलन
			पहले छह मास के लिए वास्तविक	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
1.	भंडार तथा पुर्जा की खपत					
2.	भंडार तथा पुर्जा की हानि					
3.	संयंत्र तथा मशीनरी मरम्मत तथा रखरखाव					
4.	सिविल संकर्म मरम्मत तथा रखरखाव					
5.	वार्षिक रखरखाव संविदा (4क+4ख+4ग)					
5क.	संयंत्र तथा मशीनरी					
5ख.	सिविल मरम्मत तथा रखरखाव					
5ग.	अन्य					
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
7.	कुल (1+2+3+4+5+6)					
8.	राजस्व वसूलियां, यदि कोई हो					
9.	शुद्ध योग (7-8)					

ख. मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें (विनियम के अनुसार)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के 1 अप्रैल को स्वीकृत पूंजी					
मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					
पूंजी लागत की प्रतिशतता के रूप में मरम्मत तथा रखरखाव खर्चें					

याचिकाकर्ता

प्ररूप 7घ

प्रशासनिक तथा साधारण खर्चों के ब्यौरे

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

क्र. स.	विवरण		पूर्व पांच वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक	(चालू वित्तीय वर्ष)			आगामी वर्ष के लिए प्रावकलन
				पहले छह मास के लिए वास्तविक (रुपए करोड़ में)	शेष छह मास के लिए प्रक्षेपण	कुल	
	संपत्ति से संबंधित खर्च						
1.	अनुज्ञापित फीस						
2.	किराया						
3.	रेट्स तथा कर						
4.	बीमा						
5.	दुर्घटना आरक्षित निधि में अंशदान						
6.	उप जोड़						
	संचार						
7.	टेलीफोन तथा टुककाल						
8.	पोस्टेज एवं टेलीग्राम						
9.	टेलेक्स, टेलीप्रिंटर प्रभार तथा टेली फैक्स						
10.	कूरियर प्रभार						
11.	अन्य						
12.	उपजोड़						
	वृत्तिक प्रभार						
13.	विधिक खर्च						
14.	परामर्शी प्रभार						
15.	तकनीकी फीस						
16.	संपरीक्षा फीस						
17.	अन्य प्रभार						
18.	उपजोड़						
	सवारी तथा यात्रा						
19.	सवारी खर्च						
20.	यात्रा खर्च						
21.	वाहन किराया प्रभार						
22.	अन्य						
23.	उपजोड़						
	अन्य खर्च						
24.	विद्युत प्रभार						
25.	फीस तथा अंशदान						
26.	पुरतक तथा आवधिक पत्रिकाएँ						
27.	मुद्रण तथा स्टेशनरी						
28.	विज्ञापन						
29.	मनोरंजन						
30.	देखरेख						
31.	प्रकीर्ण						
32.	संगठनात्मक विकास खर्च						
33.	संदान						
34.	प्रशिक्षण						
35.	उपजोड़						
	सामग्री संबंध खर्च						
36.	डैमरेज तथा घाट सामग्री						
37.	साफाई प्रभार						
38.	परिवहन बीमा						
39.	उपजोड़						
40.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
41.	कुल (6+12+18+23+35+39+40)						
42.	राजस्व वसूलिया यदि कोई हो						
43.	शुद्ध जोड़ (41-42)						

याचिकाकर्ता

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रकम लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	वर्तमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऑफ़िस खर्च मानव संसाधन खर्चों को छोड़कर						
2.	मानव संसाधन खर्च						
3.	एनएलडीसी प्रसार						
4.	प्राप्त						
5.	कुल कार्यकरण पूंजी						
6.	ब्याज की दर						
7.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

प्ररुप 9

आईडीसी और वित्त प्रभागों की संगणना के लिए झा डारन अनुसूची

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(रुपए लाखों में)

[illegible]

1.2	कुल भारतीय ऋण									
	झा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
1.	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी									
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1 ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप तिमाही आधार पर की जाएगी। शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीखें भी हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता

प्ररूप - 10

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर -I -	क्वार्टर II	क्वार्टर III	क्वार्टर IV
ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करे।

याचिकाकर्ता

प्ररूप -11

एलडीसी विकास निधि

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31.3.2014 को	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
एलडीसी विकास निधि का आरंभ करना—प्रारंभिक						
वर्ष के दौरान एलडीसी विकास निधि में वृद्धियां						
कुल एलडीसी विकास निधि						
घटाए : पूंजी व्यय के लिए उपयोग						
घटाए : राजस्व व्यय के लिए उपयोग						
वर्ष के 31 मार्च को शुद्ध एलडीसी विकास निधि						
वर्ष के दौरान संचित औसत निधि						

टिप्पण : वृद्धियों और उपयोग का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग शीट में दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता

प्ररूप -12

अन्य आय

एनएलडीसी/आरएलडीसी का नाम.....

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31.3.2014 को	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
अन्य आय — प्रारंभिक						
जोड़ें : अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभार						
जोड़ें: आरईसी आय से आबंटन						
जोड़ें:						
जोड़ें:						
जोड़ें:						
वर्ष के दौरान सकल आय						
घटाए: कमियों को पूरा करने के लिए उपयोग						
घटाए : के लिए उपयोग						
उससे आगे						
31 मार्च को शुद्ध आय						

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट-II
(विनियम 6 के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु)

(आवेदक का नाम) (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....)] स्पष्ट अक्षरों में
---	----------------------

- ऊपर नामित आवेदक ने फीस और प्रभारों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है। (आवेदक का नाम दें)
- एनएलडीसी/आरएलडीसी के उपयोक्ता निम्नलिखित है:
 - (क)
 - (ख)
 - (ग)
- परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) –
मूल
अंतिम (पुनरीक्षित) :
- वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है:
- वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
मूल:
अंतिम (पुनरीक्षित):
- वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :
- वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में):
- टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(रुपए लाख में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्ष वार टैरिफ					
		पूर्व वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. आरएलडीसी							
2. एनएलडीसी							

- टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है।
- आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष फाइल की जा सकेगी।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम और पदनाम**परिशिष्ट III****अवक्षयण अनुसूची**

क्र.सं.	आस्तिकी विशिष्टियां	अवक्षयण दर
क.	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	
ख.	पट्टे पर ली गई भूमि	0.00%
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	स्थल क्लियरिंग की लागत के लिए	3.34%

ग.	अन्य आस्तियां	
क	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग संकर्म	
(i)	कार्यालय एवं आवास	{3.34%}
(ii)	अंतर्विष्ट संयंत्र तथा उपस्कर	3.34%
(iii)	लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी संरचना	{100.00%}
(iv)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	{3.34%}
(v)	अन्य	{3.34%}
ख.	ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उपस्टेशन एवं अन्य नियत उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर्स नींव सहित 100 कि वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
ग	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	5.28%
घ	लाइटनिंग अरेस्टर	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	5.28%
ङ	बैटरियां	
(i)	ज्वाइंट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	3.34%
च	केबल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवर हेड लाइन	
(i)	66 के वी से अधिक, टर्मिनल, वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाईन	3.34%
(ii)	13.2 कि वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फोर्सड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	5.28%
(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाईनें	5.28%
छ	मीटर	5.28%
ज	सेल्फ प्रोपेल्ड वैहिकल	9.50%
झ	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टैटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ञ(i)	कार्यालय फर्नीचर एवं साज सज्जा	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	फिटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट की फिटिंगे	5.28%
ट	किराए पर लिए गए उपस्कर	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
ठ	संचार उपस्कर	
(i)	रेडियो एवं उच्च वारम्भारता कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाईन एवं टेलीफोन	6.33%
ड	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	15.00%
ढ	साफ्टवेयर	30.00%
ण	कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट IV
(विनियम 4 के अनुपालन में)

1. इकाई का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
3. वह क्षेत्र जिसमें रजिस्ट्रीकरण की मांग की गई है:
 - i. उत्तर-पूर्वी
 - ii. उत्तर
 - iii. पूर्व
 - iv. पश्चिम
 - v. दक्षिण
4. उपयोक्ता प्रवर्ग :
 - i. उत्पादन केन्द्र
 - ii. विक्रेता
 - iii. क्रेता
 - iv. पारेषण अनुज्ञापिधारी
 - v. वितरण अनुज्ञापिधारी
 - vi. व्यापार अनुज्ञापिधारी
 - vii. पावर एक्सचेंज
5. उपयोक्ता द्वारा (अंतिम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को) :
 - i. प्रवर्ग - उत्पादन केन्द्र
 - i. कुल संस्थापित क्षमता
 - ii. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
 - iii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान:

क्र.सं.	प्लान्ट आफ कनेक्शन	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अवस्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों(मैन) की संख्या

- ii. प्रवर्ग - विक्रेता / क्रेता / वितरण अनुज्ञापिधारी
 - i. आईएसटीएस का उपयोग करने वाले अधिकतम संविदागत क्षमता (मेगावाट)
 - ii. आईएसटीएस के संयोजन का स्थान:

क्र.सं.	प्लान्ट आफ कनेक्शन	वोल्टेज स्तर (केवी)	इस अब स्थान पर संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों (मैन) की संख्या

- iii. प्रवर्ग - पारेषण अनुज्ञापिधारी (अंतरराष्ट्रीय)
 - i. सब स्टेशन :

क्र.सं.	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की संख्या	कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता या डिजायन एसवीए संचालन क्षमता यदि स्वीचिंग स्टेशन है।

- ii. पारेषण लाइन :

क्र.सं.	वोल्टेज स्तर (केवी)	पारेषण लाइनों की संख्या	कुल सर्कट किलोमीटर

6. आरएलडीसी/एनएलडीसी से संबंधित मीटरों के लिए उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिसमें संपर्क किया जाना है:

- i. नाम
- ii. पदनाम
- iii. लैंडलाइन टेलीफोन न०
- iv. मोबाइल संख्या
- v. ई-मेल पता
- vi. पोस्टल पता

उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :
तारीख :

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
संपर्क संख्या:

परिशिष्ट V

आरएलडीसी/एनएलडीसी का नाम
कार्य निष्पादन वर्ष

मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों का निर्धारण

क्र.सं.	कार्य निष्पादन संकेतक	भार	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष
1.	इंटरकनेक्शन मीटर त्रुटि	10		
2.	व्यवधान परिमाण	10		
3.	शटडाउन अनुरोध का औसत प्रोसेसिंग समय	10		
4.	रकाड़ा प्रणाली की उपलब्धता	10		
5.	वोल्टेज विचलन इन्डैक्स (बीडीआई)	10		
6.	आवृत्ति विचलन इन्डैक्स (एफडीआई)	10		
7.	प्रणाली विश्वसनीयता की रिपोर्टिंग	10		
8.	वेबसाइट की उपलब्धता	10		
9.	वैकल्पिक आपूर्ति की उपलब्धता	05		
10.	पूजी व्यय की भिन्नता	05		
11.	गैर पूजी व्यय की भिन्नता	05		
12.	प्रमाणित कर्मचारी की प्रतिशतता	05		
	कुल	100		

(उक्त क्रम संख्या 1 से 7 में विनिर्दिष्ट मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों की संगणना परिशिष्ट 6 में दी गई है)

मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक

परिशिष्ट VI

1. इंटर कनेक्शन मीटर त्रुटि की रिपोर्टिंग

विवरण	मीटर त्रुटि मीटर में त्रुटी तथा सीटी/पीटी के कारण और ड्रिप्ट के कारण विशेष ऊर्जा मीटर में त्रुटी का संकेत करते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार मीटरिंग को कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है।
परिमाण/मानिटरिंग	साप्ताहिक
की गई कार्रवाई	साप्ताहिक रूप से वेबसाइट पर होस्ट की गई
टिप्पणियां	निवारक कार्रवाई के लिए संबंधित इकाइयों को सूचना

2. ग्रिड घटनाओं और ग्रिड व्यवधानों की रिपोर्टिंग ऊर्जा की संबद्ध हानि सहित व्यवधानों की संख्या

प्रवर्ग	क्षेत्र/राज्य/इकाई/ अनुज्ञापिकाधारी का नाम	गणना	रिकवरी अवधि	ऊर्जा की हानि
		संख्या	घंटे	एमयू
जीआई-1				
जीआई-2				
जीडी-1				
जीडी-2				
जीडी-3				
जीडी-4				
जीडी-5				
कुल				

*प्रवर्ग सीईए ग्रिड मानकों में यथापरिभाषित। आरएलडीसी और एनएलडीसी को, आयोग को ग्रिड व्यवधान के प्रत्येक घटना रिपोर्ट करनी होगी।

3. शटडाउन अनुरोध का औसत प्रोसेसिंग समय

विवरण	यह प्रणाली के अंदर या बाहर घटक को लेते हुए अनुरोध के अनुमोदन में आरएलडीसी द्वारा लिया गया समय निर्धारित करता है
परिमाण/मानिट्रिंग	मास में अनुरोधों की संख्या/माह में अनुरोधों के अनुमोदन के लिए लिया गया कुल समय
टिप्पणियाँ	पारेषण आउटलेज समन्वय की प्रभावशीलता

4. स्काडा प्रणाली की उपलब्धता : प्रत्येक आरएलडीसी और एनएलडीसी में स्काडा प्रणाली उपलब्धता 99.99 प्रतिशत होनी चाहिए।

5. वोल्टेज विचलन इन्डैक्स (वीडीआई)

विवरण	परिमाण/मानिट्रिंग	की गई कार्रवाई	अपेक्षित टिप्पणी/कार्रवाई
सभी 400 और उससे ऊपर केवी के उपकेन्द्रों में आईजीसी के अनुमत उपबंध रेंज के बाहर रखी गई वोल्टेज के समय का प्रतिशत है।	=(घंटों की संख्या 400 और उससे अधिक केवी के सभी उपकेन्द्रों में वोल्टेज दिन या सप्ताह या मास के दौरान रेंज के बाहर/दिन या सप्ताह या माह में घंटों की संख्या की रेंज के बाहर थी) x 100	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई	यदि अपेक्षित हो तो निवारक कार्रवाई के लिए संबंधित इकाइयों को सूचना

6. आवृत्ति विचलन इन्डैक्स(एफडीआई)

विवरण	परिमाण/मानिट्रिंग	की गई कार्रवाई
समय की प्रतिशतता जिसमें आवृत्ति आईजीसी रेंज के बाहर रही	=(घंटों की संख्या जिसके दौरान आवृत्ति दिन/सप्ताह/मास x 100 में घंटों की संख्या/दिन के दौरान रेंज के बाहर थी)	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई

7. प्रणाली विश्वसनीयता की रिपोर्टिंग

विवरण	परिमाण/मानिट्रिंग महत्वपूर्ण कारिडोर	की गई कार्रवाई
विश्वसनीयता उपाय इसके अभीष्ट कार्य के निष्पादन के लिए प्रणाली की क्षमता	अंतरक्षेत्रीय कारिडोर पर निम्नलिखित रिपोर्टिंग/महत्वपूर्ण बसे जहां पीएमयू क्षेत्र में संस्थापित किए गए हैं: - समय एन1 मानदंड का प्रतिशत अंतरक्षेत्रीय कारिडोर में उल्लंघन किया गया है। -टाईम एटीसी का प्रतिशत अंतरक्षेत्रीय कारिडोरों पर उल्लंघन किया गया है। -महत्वपूर्ण बसों पर टाइम एंगुलर अंतर का प्रतिशत अनुज्ञेय सीमा से आगे था।	प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक वेबसाइट पर होस्ट की गई

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2015

No. L-1/153/2014/CERC.— In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-section 4 of section 28 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2015.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall be applicable during the control period from 1.4.2014 to 31.3.2019.
2. **Scope and extent of application.**—(1) These regulation shall be applicable for determination of fees and charges to be collected by Regional Load Despatch Centres from the generating companies, distribution licensees, Inter-State transmission licensees, buyers, sellers and Inter-State trading licensees.
3. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires-
 - (1) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (2) 'Additional Capitalization' means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check;
 - (3) 'Auditor' means an auditor appointed by the Power System Operation Company, qualified for appointment as an auditor in accordance with the provisions of sections 224, 233B and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as amended from time to time or Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force;
 - (4) 'Bank Rate' means the base rate of interest as specified by the State Bank of India from time to time or any replacement thereof plus 350 basis points;
 - (5) 'Buyer' means a person buying power through medium term open access or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by the Regional Load Despatch Centre;
 - (6) 'Capital Cost' means the capital cost as defined in Regulation 9 of these regulations;
 - (7) 'Capital Expenditure or CAPEX' means the expenditure of capital nature planned to be incurred during the control period for creation of assets of the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre, as the case may be;
 - (8) 'Charges' means recurring payments on monthly basis to be collected by the Regional Load Despatch Centres for the services rendered by National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre and Power System Operation Company;
 - (9) 'Commission' means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
 - (10) 'Contracted Capacity' means the capacity arranged through long term access or medium term open access;
 - (11) 'Control Period' means a period of five years starting from 1.4.2014;
 - (12) 'Day' means the 24 hour period starting at 0000 hour;
 - (13) 'Expenditure Incurred' means the fund, whether equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments and the liabilities for which no payment has been made;
 - (14) 'Fees' means the one-time or annual fixed payments collected by the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre for the services rendered for commencement of grid access and scheduling, and on account of registration, membership or any other purpose as specified by the Commission from time to time;
 - (15) 'Grid Access' means the permission granted by the RLDC concerned for integration of the generating station including a stage or unit of the generating station, or licensees, buyers and sellers with the grid on meeting the technical requirements;

- (16) **'Licensee'** means a person granted a licence under Section 14 of the Act;
- (17) **'Market Operation Function'** includes functions of scheduling, despatch, metering, data collection, energy accounting and settlement, transmission loss calculation and apportionment, operation of regulatory pool account, administering ancillary services, information dissemination and any other functions assigned to the RLDCs/NLDC under the Act or National Load Despatch Centre Rules, 2005 ("NLDC Rules") or the regulations and orders issued by the Commission from time to time;
- (18) **'National Load Despatch Centre'** or **'NLDC'** means the Centre at the national level established by the Central Government under sub-section (1) of section 26 of the Act;
- (19) **'Power System Operation Company'** or **'POSOCO'** means a company entrusted with the operation of the National Load Despatch Centre in accordance with Section 26 of the Act and Regional Load Despatch Centres in accordance with Section 27 of the Act;
- (20) **'Region'** means any one of the regions demarcated by the Central Government under Section 25 of the Act;
- (21) **'Regional Entity'** means an entity whose scheduling, metering and energy accounting is done at the regional level by the concerned Regional Load Despatch Centre;
- (22) **'Regional Load Despatch Centre'** or **'RLDC'** means the Centre for each region established by the Central Government under sub-section (1) of section 27 of the Act;
- (23) **'Replacement Expenditure or REPEX'** means the expenditure incurred or projected to be incurred for replacement of capital assets on completion of their useful life but are not covered under the Repairs and Maintenance expenses;
- (24) **'Regulatory Pool Account'** means the account operated by RLDCs or NLDC under the relevant regulations or orders by the Commission for handling Deviation Settlement Charges, Reactive Energy Charges, Congestion Charges and Congestion amount due to market splitting or any other account which may be operated by RLDCs or NLDC from time to time as per the Regulations or directions of the Commission;
- (25) **'Scheme'** means the facilities and equipments associated with and installed at the RLDCs, NLDC and Corporate office of POSOCO, as the case may be, and shall include but shall not be limited to the following, namely:—
- (i) computer systems, hardware and software,
 - (ii) auxiliary power supply system comprising Uninterrupted Power Supply, Diesel Generating Set and DC power system,
 - (iii) general telephone, fax and other off line communication system,
 - (iv) other infrastructure facilities, such as air-conditioning, fire-fighting and construction and renovation of buildings,
 - (v) any innovative schemes R & D projects and pilot projects for better system operation, such as Synchrophasors, System Protection Scheme,
 - (vi) Back-up control centres for RLDCs and NLDC,
 - (vii) Surveillance Camera System,
 - (viii) Cyber Security System,
 - (ix) Wide Area Measurement System (WAMS);
- (26) **'Seller'** means a person other than a generating company supplying power through medium term open access or long term access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by Regional Load Despatch Centre;
- (27) **'System Operation Function'** includes monitoring of grid operations, supervision and control over the Inter-State Transmission System, real-time operations for grid control and despatch, system restoration following grid disturbances, compiling and furnishing data pertaining to system operation, congestion management, black start coordination, information dissemination and any other function(s) assigned to the RLDCs or NLDC, as the case may be, under the Act or NLDC Rules or regulations and orders issued by the Commission from time to time;
- (28) **'User'** means the generating companies, distribution licensees, buyers, sellers and Inter-State transmission licensees who use the inter-state transmission network or the associated facilities and services of National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centres;

Note:

- (1) A generating station or unit whose scheduling, metering and energy accounting is carried out separately for each stage or unit, such generating station or stage or unit shall be considered as a user for the purpose of sharing of Market Operation Charges in accordance with Regulation 27 and System Operation Charges in accordance with Regulation 26 of these Regulations and for payment of registration fees in accordance with Regulation 25 of these Regulations;
- (2) In case of inter-State transmission licensees, each region where the licensee has the operation shall be considered as a user for the purpose of these Regulations;
- (3) Where the inter-State Transmission System is connected to the transmission system of any foreign country, the agency designated by Government of India for coordinating the scheduling, metering and energy accounting for the transaction carried out for import and export of power through the said transmission system shall be considered as a user for the purpose of these Regulations;
- (4) The Sardar Sarovar Project (SSP) and Bhakra Beas Management Board (BBMB), whose scheduling, metering and energy accounting is carried out by the concerned RLDCs, shall be considered as users for the purpose of this Regulation.
- (29) 'Year' means a financial year;
- (30) The words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them under the Act.

CHAPTER – 2

GENERAL

4. **Registration:** (1) The users shall register with the respective Regional Load Despatch Centre for commencement of Grid Access for availing system operation services of RLDCs or NLDC as under:

(a) All generating stations, distribution licensees and inter-State transmission licensees intending to avail the Grid Access shall register themselves with concerned Regional Load Despatch Centre responsible for scheduling, metering, energy accounting and switching operations, not less than 30 days prior to intended date of commencement of grid access, by filing an application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations:

Provided that when a unit is added to a generating station or an element is added to a transmission system, the generating company or transmission licensee, as the case may be, shall send an intimation to the concerned RLDC(s) for updating its records;

(b) The buyers and sellers who intend to avail grid access shall register themselves with the concerned Regional Load Despatch Centre not less than 30 days prior to intended date of commencement of grid access by filing an application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations;

(c) The Power exchanges and traders who intend to avail the services of RLDCs and NLDC shall register themselves with the National Load Despatch Centre by filing an application in the format prescribed as **Appendix-IV** to these regulations.

(2) The Regional Load Despatch Centre and the National Load Despatch Centre, as the case may be, after scrutinizing applications for registration and on being satisfied with correctness of the information furnished in the application shall register the applicant and send a written intimation to an applicant:

Provided that the generating companies, licensees, power exchanges, buyers and sellers who have been registered as per Central Electricity Regulatory Commission (RLDC Fees and Charges and other related matters) Regulations, 2009 shall be deemed to have been registered with the RLDCs or NLDC, as the case may be, under these Regulations and they shall not to pay the registration fee as required under Regulation 25 of these Regulations.

(3) The generating companies, distribution licensees, inter-State transmission licensees, power exchanges, traders, sellers and buyers shall pay the registration fees as specified in these Regulations.

(4) Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre shall maintain a list of registered users, licensees and Power Exchanges on their website along with their date of registration.

5. **Capital Expenditure (CAPEX) and Replacement Expenditure (REPEX) Plan:**

(1) The Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre shall formulate the scheme for Capital Expenditure (CAPEX) and Replacement Expenditure (REPEX) for the control period duly approved by the Board of Power System Operation Company. The CAPEX and REPEX plan shall also include future costs to be incurred for the up-gradation, modernization, automation and expansion of infrastructure in addition to existing capital assets.

(2) The concerned Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre shall submit the following along with the petition for determination of fees and charges:

(a) the CAPEX for the control period of 2014-19 along with details of estimated expenses, reasonableness of capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, upgradability/scalability of the technology and systems to accommodate the growing requirement of system operation and estimated completion period of each scheme ;

(b) the REPEX plan for capital expenditure of existing asset, completion of life of existing asset, cumulative depreciation recovered, date of replacement, cumulative repayment of loan up to date of replacement, writing off of the gross value of the original assets from the original fixed assets along with estimated expenses, reasonableness of capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, upgradability/scalability of the technology and systems to accommodate the growing requirement of system operation and estimated completion period of each scheme.

(3) In relation to any consolidated schemes of CAPEX and REPEX involving one or more RLDCs and/or NLDC, the capital expenditure chargeable to each RLDC and NLDC shall be segregated and considered as a part of capital expenditure of RLDC concerned and NLDC, as the case may be.

CHAPTER-3

APPLICATION FOR FEES AND CHARGES,

COMPUTATION OF CAPITAL COST AND CAPITAL STRUCTURE

6. Application for determination of fees and charges:

(1) The RLDCs and NLDC shall make application in the formats annexed as Appendix I to these regulations within 180 days from the date of notification of these Regulations, for determination of fees and charges for the control period, based on capital expenditure incurred and duly certified by the auditor as on 1.4.2014 and projected to be incurred during the control period based on the CAPEX and the REPEX.

(2) The application shall contain particulars such as source of funds, equipments proposed to be replaced, details of assets written off, and details of assets to be capitalized etc.

(3) Before making the application, the concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall serve a copy of the application on the users and submit proof of service along with the application. The concerned RLDC or NLDC shall also keep the complete application posted on its website till the disposal of its petition.

(4) The concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall within 7 days after making the application, publish a notice of the application in at least two daily newspapers, one in English language and one in Indian modern language, having circulation in each of the States or Union Territories where the users are situated, in the same language as of the daily newspaper in which the notice of the application is published, in the formats given in Appendix II to these regulations.

(5) The concerned RLDC or NLDC, as the case may be, shall be allowed the fees and charges by the Commission based on the capital expenditure incurred as on 1.4.2014 and projected to be incurred during control period on the basis of CAPEX and REPEX duly certified by the auditor in accordance with these Regulations:

Provided that the application shall contain details of underlying assumptions and justification for the capital expenditure incurred and the expenditure proposed to be incurred in accordance with the CAPEX and REPEX.

(6) If the application is inadequate in any respect as required under Appendix-I of these regulations, the application shall be returned to the concerned RLDC or NLDC for resubmission of the petition within one month after rectifying the deficiencies as may be pointed out by the staff of the Commission.

(7) If the information furnished in the petition is in accordance with the regulations and is adequate for carrying out prudency check of the claims made, the Commission shall consider the suggestions and objections, if any, received from the respondents and any other person including the consumers or consumer associations. The Commission shall issue order determining the fees and charges order after hearing the petitioner, the respondents and any other person permitted by the Commission.

(8) During pendency of the application, the applicant shall continue to bill the users on the basis of fees and charges approved by the Commission during previous control period and applicable as on 31.3.2014, for the period starting from 1.4.2014 till approval of the Fees and Charges by the Commission, in accordance with these Regulations.

(9) After expiry of the control period, the applicant shall continue to bill the users on the basis of fees and charges approved by the Commission and applicable as on 31.3.2019 for the period starting from 1.4.2019 till approval of fees and charges under the applicable regulations.

7. Determination of Fees and Charges

- (1) The Fees and Charges shall be determined separately for each of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre;

Provided that the annual charges of NLDC including corporate office expenses for the control period shall be apportioned among Regional Load Despatch Centre on the basis of the peak demand served (in MW) in the respective region as indicated on CEA's website for the preceding year:

8. Truing up of Annual Charges:

- (1) The RLDCs and NLDC shall make an application, in the formats annexed as **Appendix I** to these regulations by 31.10.2019, for carrying out truing up exercise.

(2) The RLDCs and NLDC shall submit, along with the application for truing up, details of capital expenditure including additional capital expenditure, sources of financing, human resource expenditure, operation and maintenance expenditure etc. incurred for the period from 1.4.2014 to 31.3.2019, duly audited and certified by the auditor.

(3) The Commission shall carry out truing up exercise along with the application for determination of fees and charges for the next control period based on the capital expenditure including additional capital expenditure incurred up to 31.3.2019 and as admitted by the Commission after prudence check at the time of truing up:

Provided that the each of the Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre, as the case may be, shall carry out truing up of expenditure based on the capital expenditure including additional capital expenditure up to 31st March of each financial year of the control period and refund the additional recovery of fees and charges to the users by 30th September of the following year.

(4) The amount under-recovered or over-recovered by each of the Regional Load Despatch Centres or National Load Despatch Centre, as the case may be, along with simple interest at the rate equal to the bank rate as on 1st April of the respective year, shall be recovered or refunded by the respective RLDCs or NLDC or users, as the case may be, in six equal monthly instalments starting within three months from the date of the order issued by the Commission after the truing up exercise.

9. Computation of Capital Cost:

(1) The capital cost as admitted by the Commission after prudence check, for each of the Regional Load Despatch Centre or NLDC, as the case may be, shall form the basis for determination of annual charges.

(2) The capital cost shall be computed by considering the following:

- (a) The Capital cost as admitted by the Commission as on 1.4.2014 duly trued up by excluding liability, if any;
- (b) Expenditure on account of additional capitalization and de-capitalization determined in accordance with the Regulation 10;
- (c) The original capital cost of the fixed assets which has been replaced during control period shall be de-capitalized from the admitted capital cost from the respective date duly adjusting cumulative depreciation and cumulative repayment, if any;
- (d) Interest during construction and incidental expenditure during construction;
- (e) Any grant received from the Central or State Government or any statutory body or authority for execution of the project which does not carry any liability of repayment shall be excluded from the Capital Cost for the purpose of computation of interest on loan, return on equity and depreciation;

(3) The Capital cost shall be admitted after prudence check which may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, Interest During Construction (IDC), Incidental Expenditure During Construction (IEDC), financing charges, any gain or loss on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV), use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission:

Provided further that interest during construction shall be computed corresponding to the loan from the date of infusion of debt fund, and after taking into account the prudent phasing of funds duly adjusting IDC on account of time over run if any ;

Provided further that incidental expenditure during construction shall be computed after prudence check duly adjusting the IEDC on account of time over run if any, interest on deposits or advances, or any other receipts and liquidated damages recovered or recoverable corresponding to the delay.

10. Additional Capitalisation and De-Capitalization:

- (1) The capital expenditure incurred or projected to be incurred for the assets already in service and the additional

assets projected to be procured during tariff period may be admitted, in its discretion, by the Commission, subject to prudence check:

Provided that any expenditure for acquiring the minor items or the assets like tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, fans, heat convectors, mattresses, carpets etc. purchased during 2009-14 tariff period shall not be considered for additional capitalization for determination of fees and charges.

(2) In case of de-capitalisation of assets under the REPEX or otherwise, the original cost of such asset as on the date of de-capitalisation shall be deducted from the value of gross fixed asset along with corresponding adjustment in equity, outstanding loan, cumulative repayment of loan and depreciation in the year such de-capitalisation takes place.

11. Debt-Equity Ratio:

(1) The actual debt: equity ratio as admitted by the Commission for the period ending 31.3.2014 shall be considered for the opening capital cost of each of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre, as the case may be.

(2) The capital expenditure incurred prior to 1.4.2014, where debt: equity ratio has not been determined by the Commission for determination of annual charges of RLDC for the period ending 31.3.2014, the Commission shall determine the debt:equity ratio in accordance with Regulation 9(2) of the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges for Regional Load Despatch Centres and other related matters) Regulations, 2009

(3) For the capital expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2014, the debt-equity ratio shall be considered as 70:30. If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that:

- i. where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, actual equity shall be considered for determination of tariff;
- ii. the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment;
- iii. any grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of capital structure for the purpose of debt : equity ratio.

Explanation.-The premium, if any, raised by the power system operation company while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the project, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, only if such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure of the RLDC.

12. LDC Development Fund:

(1) The Power System Operation Company shall create and maintain a separate fund called 'Load Despatch Centre Development Fund' ("LDCD Fund") for administering capital expenditure.

(2) The charges on account of return on equity, interest on loan, depreciation of the Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre including the registration fee, shall be deposited into the LDCD Fund after meeting the statutory tax requirements:

Provided that short term open access charges and other income of RLDCs or NLDC, if any, shall not form part of the LDCD Fund.

(3) The Power System Operation Company shall be entitled to utilise the money deposited in the LDCD Fund for creation of new assets, loan repayment, servicing the capital raised in the form of interest and dividend payment, meeting stipulated equity portion in asset creation, margin money for raising loan from the financial institutions and funding of R & D projects.

(4) The LDCD Fund shall not be utilized for any other revenue expenditure. However, in case of shortfall in meeting the revenue expenditure including human resource expenses, Power System Operation Company shall be entitled to take interest free advance from LDCD Fund which shall be recouped from the expenditure allowed by the Commission under the respective heads at the time of truing up to be carried out after the expiry of the control period 2014-19.

(5) Any asset created by the Power System Operation Company out of the money deposited into the LDCD Fund shall not be considered for computation of return on equity, interest on loan and depreciation on same principles as in case of grant. Power System Operation Company shall submit details of such assets in the CAPEX plan.

(6) POSOCO shall submit the amount accumulated in LDC development fund along with the break-up of sources from where the fund is received. The Commission shall review the LDC development fund every year and issue directions to POSOCO for effective utilization of the funds, if required.

CHAPTER – 4

RLDC FEES AND CHARGES STRUCTURE

13. Components of RLDC Fees and Charges: (1) The RLDC Fees and Charges shall comprise Regional Load Despatch Centre Fees to be recoverable by Power System Operation Company towards registration for commencement of grid access and Scheduling and annual charges to be collected in the form of system operation and market operation charges from users.

14. Annual Charges (AC): The annual charges shall comprise annual system operation charges corresponding to the expenditure of system operation function and annual market operation charges corresponding to the expenditure of market operation function. The annual charges shall be segregated into annual system operation charges and annual market operation charges in the ratio of 70:30. The annual charges shall consist of the following components, namely:-

- (a) Return on equity;
- (b) Interest on loan capital;
- (c) Depreciation;
- (d) Operation and maintenance (excluding human resource) expenses;
- (e) Human resource expenses;
- (f) NLDC charges and corporate office expenses; and
- (g) Interest on working capital;

15. System Operation Charges: The System operation charges shall be derived separately for the inter-State transmission licensees, generating stations, sellers and distribution licensees and buyers as under:

- (a) The System Operation Charges for inter-state transmission licensees shall be determined on the basis of 10% of annual system operation charges and shall be worked out on the basis of the ckt-km of the lines owned by inter-state transmission licensees ;
- (b) The System Operation Charges for the inter-State Generating station and sellers shall be determined on the basis of 45% of annual system operation charges and shall be worked out on the basis of installed capacity in case of the generating station and long term and/or medium term contracted capacity in case of sellers;
- (c) The System Operation Charges for the distribution licensees and buyers shall be determined on the basis of 45% of annual system operation charges and shall be worked out on the basis of aggregate allocated capacity and contracted capacities in case of distribution licensee and long term and/or medium term contracted capacity in case of buyer;

16. Market Operation Charges: The Market operation charges shall be worked out on the basis of aggregated capacities for Scheduling by generating stations and sellers, distribution licensee and buyers.

CHAPTER – 5

COMPUTATION OF ANNUAL CHARGES (AC)

17. Return on equity:

- (1) Return on equity shall be computed in Rupee terms on the equity base determined in accordance with Regulation 11 of these regulations.
- (2) Return on equity shall be computed on pre-tax base rate of 15.50% to be grossed up as per the sub-clause (3) of this regulation.
- (3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the effective tax rate of the financial year 2014-15 applicable to the Power System Operation Company :

Provided that the return on equity with respect to the actual tax rate applicable to the Power System Operation Company in line with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during control period shall be trued up at the end of the control period.

- (4) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the following formula :

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \text{Base rate}/(1-t)$$

Where 't' is the effective tax rate in accordance with sub-clause (3).

18. Interest on loan capital:

- (1) The loan determined in accordance with Regulation 11 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.
- (2) The normative loan outstanding as on 1.4.2014 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to 31.3. 2014 from the gross normative loan.
- (3) The repayment for respective year of the control period shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for that year. In case of de-capitalization of assets, the repayment shall be adjusted by taking into account cumulative repayment on a pro-rata basis and the adjustment should not exceed cumulative depreciation recovered up to the date of de-capitalisation of such asset.
- (4) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each year applicable to the respective Regional Load Despatch Centre:

Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered;

Provided further that if any of the Regional Load Despatch Centre does not have actual loan, then the weighted average rate of interest on the loan of Power System Operation Company as a whole shall be considered.

- (5) The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest.
- (6) The Power System Operation Company shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the users and the net savings shall be shared between the users and the Power System Operation Company in the ratio of 2:1. The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.
- (7) In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, as amended from time to time, including statutory re-enactment thereof, for settlement of the dispute:

Provided that the users shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the users and the Power System Operation Company during the pendency of any dispute arising out of re-financing of loan.

19. Depreciation:

- (1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the assets admitted by the Commission.
- (2) The salvage value of the asset (excluding IT equipments and Software's) shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset. The salvage value for IT equipments and Softwares shall be considered as NIL and 100% value of the assets shall be considered as depreciable.
- (3) Land shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the capital cost of the asset.
- (4) Depreciation shall be calculated annually based on Straight Line Method and at rates specified in Appendix-III to these regulations for the assets of the Regional Load Despatch Centre.
- (5) Assets fully depreciated shall be shown separately.
- (6) Value of the assets not in use or declared obsolete shall be taken out from the capital cost for the purpose of calculation of depreciation.
- (7) The balance depreciable value as on 1.4.2014 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation from the gross depreciable value of the assets appearing in the books of accounts of the Power System Operation Company for the respective Regional Load Despatch Centre and National Load Despatch Centre.
- (8) In case of de-capitalization of assets in respect of concerned RLDC, the cumulative depreciation shall be adjusted by taking into account the depreciation recovered in tariff by the de-capitalized asset during its useful services.

20. Operation and Maintenance Expenses:

- (1) Operation and maintenance (O&M) expenses (excluding human resource expenses) shall be derived on the basis of actual operation and maintenance expenses for the years 2009-10 to 2013-14, based on the audited balance sheets. The O&M expenses shall be normalized by excluding abnormal operation and maintenance expenses, donation, loss-in-inventory, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission.

(2) The normalized operation and maintenance expenses, after prudence check, for the years 2009-10 to 2013-14, shall be escalated at the rate of 5.72% to arrive at the normalized operation and maintenance expenses at the 2013-14 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average operation and maintenance expenses for the 2009-10 to 2013-14 at 2013-14 price level. The average normalized operation and maintenance expenses of 2013-14 price level shall be escalated at the escalation rate as worked out in accordance with clause (4) of this Regulation to arrive the operation and maintenance expenses for the year 2014-15.

(3) The operation and maintenance expenses for the year 2014-15 shall be escalated further at the annual escalation rate as worked out in accordance with clause (4) this Regulation to arrive at permissible operation and maintenance expenses for the subsequent years of the control period.

(4) The escalation rate shall be worked out by considering the compounded annual growth rate, inflation rate, rationalization of O&M expenses and other factors, if any.

(5) The actual expenditure towards Annual Maintenance Contract (AMC) of SCADA system, after prudence check, shall be considered for arriving at the Operation and Maintenance Expenses during 2014-15 to 2018-19.

21. Human Resource Expenses: (1) Human resource expenses shall be derived on the basis of actual human resource expenses for the years 2009-10 to 2013-14 based on the audited balance sheets. The human resource expenses shall be normalized by excluding abnormal Human resource expenses, ex-gratia, VRS expenses, prior-period adjustments, claims and advances written-off, provisions, etc, if any, after prudence check by the Commission:

Provided that performance related pay computed in accordance with DPE guidelines shall be met from the incentive allowed in accordance with sub-clause (5) of Regulation 29 of these Regulations.

(2) The normalized human resource expenses, after prudence check, for the year 2009-10 to 2013-14, shall be escalated at the rate of 5.72% to arrive at the normalized human resource expenses at the 2013-14 price level respectively and then averaged to arrive at normalized average human resource expenses for the 2009-10 to 2013-14 at 2013-14 price level.

(3) The manpower approved during the year 2013-14 shall be the basis for computation of the HR expenses for 2014-15. Thereafter, for the subsequent years, the HR expenses shall be escalated at the annual escalation rate.

(4) The average normalized human resource expenses of 2013-14 price level shall be escalated at the escalation rate as worked out in accordance with clause (6) this Regulation to arrive the operation and maintenance expenses for the year 2014-15.

(5) The human resource expenses for the year 2014-15 shall be escalated further at the annual escalation rate as worked out in accordance with clause (6) this Regulation to arrive at permissible human resource expenses for the subsequent years of the control period:

Provided that the human resource expenses from 1.1.2017 onwards shall be further rationalized after considering 50% increase in employee cost on account of pay revision of the employees of the Public Sector Undertakings to arrive at the permissible human resource expenses for the year 2017-18 and 2018-19.

(6) The escalation rate shall be worked out by considering the compound annual growth rate, inflation rate, rationalization of human resource and other factors, if any.

(7) The cost of anticipated increase in the manpower of each year of the control period shall also be considered after prudence check.

22. Interest on Working Capital :

(1) The working capital shall cover:

- (i) Operation and maintenance expenses (excluding human resource expenses) for one month;
- (ii) Human resource expenses for one month;
- (iii) NLDC charges for one month; and
- (iv) Receivables equivalent to two months of annual charges as approved by the Commission.

(2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be considered as the bank rate as on 1.4.2014.

(3) Interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Power System Operation Company has not taken any loan for working capital from any outside agency.

23. NLDC Charges and Corporate Office Expenses. - (1) To the extent applicable, NLDC charges shall be computed by following the methodology specified for computing annual charges of Regional Load Despatch Centres except interest on working capital.

(2) The Corporate Office Expenses, computed in accordance with the actual expenses incurred, shall be allowed by the Commission, after prudence check.

(3) All expenses of NLDC and Corporate Office expenses approved by the Commission shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centre on the basis of the peak demand served (in MW) in the respective region as indicated in CEA's website for the preceding year.

24. **Contingency expenses:** (1) The Power System Operation Company shall maintain a separate account for the other income like short term open access charges and REC charges etc.

(2) The Power System Operation Company shall use such income to meet the short fall, if any, in the annual charges allowed by the Commission or to meet the contingency expenses which were not foreseen at the time of making the application for fees and charges and are considered necessary for the efficient power system operation.

(3) The balance amount shall be deposited into the LDC development fund after meeting the statutory tax requirements.

CHAPTER-6

COMPUTATION AND PAYMENT OF FEES, SYSTEM OPERATION AND MARKET OPERATION CHARGES

25. **Registration Fees:** The fees shall be payable by the users including power exchanges and electricity traders before commencement of grid access for system operation and commencement of Scheduling for market operation. The fees payable are as under:

(1) The distribution licensees and inter-State transmission licensees shall pay one time registration fee of ₹ 10 Lakh along with application for commencement of grid access:

Provided that the RLDCs concerned shall be intimated from time-to-time by the inter-State transmission licensees about the additions of transmission elements synchronized with the grid and by the distribution licensees about the additional capacity tied up for the purpose of updating the record by concerned RLDC.

(2) The generating companies shall pay registration fee as under:

- a) For generating station up to 10 MW installed capacity : ₹ 0.50 Lakh ;
- b) Generating stations having installed capacity of not less than 10 MW and up to 100 MW: ₹ 1.0 Lakh ;
- c) Generating stations having installed capacity of not less than 100 MW and up to 2000 MW : ₹ 5.0 Lakh ;
- d) Generating stations having capacity of 2000 MW and above : ₹ 10.0 Lakh, and;

Provided that the entire capacity of the generating station or stage thereof whose Scheduling, metering and energy accounting is done separately shall be considered for the purpose of registration fee at the time of the initial registration;

Provided further that the generating companies shall intimate RLDCs concerned about the additional capacity commissioned in case of generating station or stage thereof.

(3) The inter-State trading licensees, sellers and buyers shall pay one time registration fee of ₹ 10000 (Rupees Ten Thousands only) along with application for commencement of Scheduling for market operation.

(4) The Power exchanges shall pay ₹ 20.0 Lakh (Rupees Twenty Lakh only) as one time registration fees.

26. **Computation and Payment of System Operation Charges:** (1) The rates of system operation charges for inter-state transmission licensee shall be computed on annual basis and recovered on monthly basis in accordance with following formulae;

$$\text{SOC(Transmission)} = (10\%) [70\% \times \text{AFC}/(\text{Ckt_Km})]/12$$

Where,

AFC = Annual Charges computed in accordance with Regulation 14;

Ckt_Km = Length of aggregate inter-State transmission lines as on last day of the month prior to the month of billing;

Provided that the system operation charges for individual transmission licensee shall be computed on the basis of rates determined above and the length (in Ckt_Km) of transmission lines owned and operated by the respective transmission licensees.

(2) The rates of system operation charges for generating companies and sellers shall be computed on annual basis and recovered on monthly basis in accordance with following formulae:

$$\text{SOC(Generation or seller)} = (45\%) (70\% \times \text{AFC}/(\text{IC}))/12$$

Where,

AFC = Annual Charges computed in accordance with Regulation 14;

IC = Aggregate installed capacity of generating stations and contracted capacity of the sellers whose scheduling and energy accounting is covered under concerned RLDC as on last day of the month prior to the month of billing;

Provided that the system operation charges for generating companies or sellers shall be computed on the basis of rates determined above and respective capacity of the generating station or seller.

(3) The rates of system operation charges for distribution licensee and buyers shall be computed on annual basis and recovered monthly after taking into account aggregate contracted capacity in accordance with following formulae:

$$\text{SOC(Distribution or buyer)} = (45\%) (70\% \times \text{AFC}/(\text{CC}))/12$$

Where,

AFC = Annual Charges computed in accordance with Regulation 14;

CC = Aggregate long term or medium term contracted capacity by distribution licensees and buyers whose scheduling and accounting is covered under concern RLDC as on last day of the month prior to the month of billing;

Provided that the system operation charges from distribution licensees and buyers shall be collected in proportion to the sum of their allocations and contracted capacities, as the case may be, as on the last day of the month prior to billing of the month.

(4) The respective State Load Despatch Centre shall be the nodal agency for collection of system operation charges for the distribution licensees in the State if the concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre and the distribution licensees arrive at a mutual agreement in this regard. After conclusion of system operation charges, the concerned State Load Despatch Centre shall deposit the same into the account of the concerned Regional Load Despatch Centre.

27. Computation and Payment of Market Operation Charges: (1) The market operation charges for generating stations, sellers, distribution licensees and buyers shall be computed on annual basis and recovered on monthly basis after taking into account the long term open access or medium term open access granted by the CTU or inter-State transmission licensees in accordance with following formulae:

$$\text{MOC (Scheduling)} = 0.5 \times (30\%) (\text{AFC}/(\text{CC}))/12$$

Where,

AFC = Annual Charges computed in accordance with Regulation 14;

CC = Aggregate long term access and medium term open access granted by the CTU or inter-State transmission licensee as on last day of respective month of billing period;

(2) The respective State Load Despatch Centre shall be the nodal agency for collection of market operation charges in the State if the concerned Regional Load Despatch Centre, State Load Despatch Centre and the distribution licensees arrive at a mutual agreement in this regard. The respective State Load Despatch Centre shall collect the market operation charges from the distribution licensees within a State on behalf of the concerned Regional Load Despatch Centre and the same shall be deposited into the account of the concerned Regional Load Despatch Centre.

28. National Load Despatch Centre charges and corporate office expenses: All the expenses of National Load Despatch Centre and Corporate Office, as approved by the Commission, shall be apportioned to the Regional Load Despatch Centres on the basis of the demand served in the respective regions.

CHAPTER – 7

PERFORMANCE INDICATORS

29. Performance linked incentive to RLDCs and NLDC: (1) Recovery of incentive by the Regional Load Despatch Centre shall be based on the achievement of the Key Performance Indicators as specified in Appendix V or such other parameters as may be prescribed by the Commission.

(2) Each Regional Load Despatch Centre shall submit its actual performance against each of the key performance indicators to the Commission on annual basis as per the format specified in Appendix V.

(3) NLDC shall submit the details in regards to each Key Performance Indicator in the format specified in **Appendix V** along with the methodology for approval of the Commission.

(4) The Commission shall evaluate the overall performance of the RLDCs or NLDC, as the case may be, on the basis of weightage specified in **Appendix V**. The Commission, if required, may seek advice of the Central Electricity Authority for evaluation of the performance of system operator.

(5) The RLDCs or NLDC, as the case may be, shall be allowed to recover incentive of 7% of annual charges for aggregate performance level of 85% for three years commencing from 1.4.2014 and for aggregate performance level of 90% from 1.4.2017. The incentive shall increase by 1% of annual charges for every 5% increase of performance level above 90%.

Provided that incentive shall be reduced by 1% of annual charges on pro-rata basis for the every 3% decrease in performance level below 85%.

(6) The RLDCs or NLDC, as the case may be, shall compute the Key Performance Indicators on annual basis for the previous year ending on 31st March and submit to the Commission along with petitions for approval of the Commission as per **Appendix V** and **Appendix VI** of these Regulations:

Provided that the key performance indicators of previous year ending on 31st March shall be considered to recover incentive on each year and shall be trued up at the end of the control period.

30. Certification linked incentive to the employees of RLDCs and NLDC: (1) The employees of Regional Load Despatch Centres and National Load Despatch Centre who acquire the certificate of basic level and specialist level in their respective areas of specialization and are deployed in system operation or market operation shall be allowed a fixed incentive during the currency of such certificate period as per the following parameters:

Sl. No.	Certification Level	Fixed Incentive (Amount in Rs.) (Monthly)
1	Basic Level	5000
2	Specialist Level	7500

(2) Certification linked incentive shall be in addition to the performance related incentive as specified in Regulation 29.

CHAPTER - 8.

BILLING AND OTHER MISCELLANEOUS PROVISIONS

31. Billing and Payment of charges. - (1) Bills shall be raised for the system operation charge and market operation charge on monthly basis by the Power System Operation Company in accordance with these regulations, and payments shall be made by the users directly to the Power System Operation Company.

(2) Persistent default in payment of RLDCs/NLDC fee and charges shall be brought to the notice of the Commission.

32. Late payment surcharge. - In case the payment of any bill for charges payable under these regulations is delayed by a user beyond a period of 60 days from the date of billing, a late payment surcharge at the rate of 1.5% per month shall be levied from the users.

33. Recovery of cost of hedging or Foreign Exchange Rate Variation: Recovery of cost of hedging or foreign exchange rate variation shall be made directly by the RLDCs from the users without making any application before the Commission:

Provided that in case of any objections by users regarding the cost of hedging or foreign exchange rate variation, the RLDCs may make an appropriate application before the Commission for decision.

34. Rebate: A rebate of 2% shall be allowed by the RLDCs or NLDC on gross bill amount settled through RTGS, NEFT, Letter of Credit or cheque up to seventh day (i.e. T+6 day) from the date of issuance of the bills (where T is the date of issuance of the bill).

(ii) The rebate of 1% shall be allowed when payment is made from T+7 to T+30 days from issuance of the bill.

(iii) No rebate shall be allowed for payment made from T+31 days till T+60 days from the date of issuance of the bill.

35. Power to Relax: The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by NLDC/RLDCs/Users after giving reasonable opportunity to those likely to be affected by such relaxation.

36. Removal of Difficulty: If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of any other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations.

M. K. ANAND, Chief (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./150/15(156)]

Appendix-I

TARIFF FILING FORMS (NLDC/RLDCs)

INDEX

Checklist of Forms and other information/documents for tariff filing for NLDC/RLDCs

Form No.	Tariff Filing Formats (RLDCs)	Tick
FORM- 1	Summary Sheet	
FORM- 2	Normative Parameters considered for calculations	
FORM- 3	Abstract of Admitted Capital Cost as on 1.4.2019	
FORM- 4A	Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning of the CAPEX and REPEX	
FORM- 4B	Element wise Break-up of Capital Cost	
FORM- 4C	Break-up of Construction/Supply/Service packages	
FORM- 4D	Financial Package up to COD	
FORM- 4E	Statement of Additional Capitalisation after COD	
FORM- 4F	Statement of Capital cost	
FORM- 4G	Statement of Capital Woks in Progress	
FORM- 4H	Financing of Additional Capitalisation	
FORM- 4I	Details of Foreign Equity	
FORM- 5A	Calculation of Interest on Normative Loan	
FORM- 5B	Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans ¹	
FORM- 5C	Details of Foreign loans	
FORM- 5D	Details of Project Specific Loans	
FORM- 5E	Details of Allocation of corporate-loans to various RLDCs	
FORM- 6A	Statement of Depreciation	
FORM- 6B	Calculation of Depreciation Rate	
FORM- 7A	Details of Operation and Maintenhace Expense excluding human resource expenses	
FORM- 7B	Details of Human Resource Expenses	
FORM- 7C	Details of Repairs and Maintenance Expenses	
FORM- 7D	Details of Administrative and General expenses	
FORM- 8	Calculation of Interest on Working Capital	
FORM- 9	Draw Down Schedule for Calculation of IDC & Financing Charges	

FORM- 10	Actual cash expenditure	
FORM- 11	Year wise statement of LDC development fund (projected)	
FORM- 10	Other Income	
Other Information/ Documents		
Sl. No.	Information/Document	Tick
1.	Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts with all the Schedules & Annexure for RLDC and NLDC/Corporate office.	
2.	Copies of relevant loan Agreements	
3.	a) Copies of the approval of Competent Authority for the Capital Cost and Financial package. b) CAPEX and REPEX plan along with Board approval, estimated capital cost and justification	
4.	a) Copies of the Equity participation agreements and necessary approval for the foreign equity. b) Equity contribution from LDC development fund along with Board approval	
5.	Detailed note giving reasons of time and cost over-run of the individual projects and scheme, if applicable.	
6.	Any other relevant information, (Please specify)	

Note 1 : Electronic copy of the petition (in words format) and detailed calculation as per these formats (in excel format) and any other information submitted shall also be furnished in the electronic form.

FORM- 1**Summary Sheet**

Name of the NLDC/RLDCs : _____

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Form No.	Existing 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Return on Equity ¹							
2.	Interest on Loan Capital							
3.	Depreciation							
4.	O&M Expenses excluding human resource expenses							
5.	Human resource expenses							
6.	NLDC Charges and Corporate office expenses							
7.	Interest on Working Capital							
	Total							

¹ Details of calculations, considering equity as per regulation, to be furnished.

FORM-2

Normative Parameters considered for calculations of annual charges

Name of the NLDC/RLDCs :

Particulars	Unit	As Existing	Control Period				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
Base Rate of Return on Equity	%						
Tax Rate	%						
Receivables in Months for WC	months						
O&M excluding human resource expenses in Months for WC	months						
Human resource expenses in Months for WC	months						
NLDC charges in Months for WC	months						
Base Rate of SBI as on (date)	%						

PETITIONER

FORM 3

Abstract of Admitted Capital Cost for the existing Projects

Name of the NLDC/RLDCs :

Capital cost as admitted by CERC	
Capital cost admitted as on _____	
(Give reference of the CERC relevant Order with Petition No. & Date)	
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency):	
Domestic Component (Rs. Cr.):	
Foreign Exchange rate considered for the admitted cost:	
Hedging cost, if any, considered for the admitted Capital cost	
Total Project cost admitted (Rs. Cr):	

Petitioner

FORM-4A

Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for the New Projects

Name of the NLDC/RLDCs :

New ProjectsCapital Cost Estimates

Board of Director/Agency approving the Capital cost estimates :		
Date of approval of the Capital cost estimates:		
Price level of approved estimates	Present Day Cost As of End of _____ Qtr. of the year _____	Completed Cost As on Schedule COD the Station
Foreign Exchange rate considered for the Capital cost estimates		
Capital Cost excluding IDC & FC		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)		
Domestic Component (Rs. Cr.)		
Capital cost excluding IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs. Cr.)		
IDC, FC, FERV & Hedging Cost		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)		
Domestic Component (Rs. Cr.)		
Total IDC, FC, FERV & Hedging Cost (Rs. Cr.)		
Rate of taxes & duties considered		
Capital cost Including IDC, FC, FERV & Hedging Cost		
Foreign Component, if any (In Million US \$ or the relevant Currency)		
Domestic Component (Rs. Cr.)		

Capital cost Including IDC & FC (Rs. Cr)	
Schedule of Commissioning	
Of assets	

Note:

1. Copy of approval letter should be enclosed.
2. Details of Capital cost are to be furnished as per FORM-4B or 4C as applicable.

Petitioner

FORM 4B

Element wise Break-up of Capital Cost

Name of the NLDC/RLDCs :

Sl. No.	Break Down	Cost in Rs. Crores			Variation	Reasons for Variation	Admitted Cost
		As per original Estimates	As on COD	Liabilities/ Provision			
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)	7	8
A	Preliminary works & land						
1.1	Design & Engineering						
1.2	Land						
1.3	Site preparation						
1.0	Total Preliminary works & land						
B	Civil Works						
2.1	Control Room & Office Building including HVAC						
2.2	Township & Colony						
2.3	Roads and Drainage						
2.4	Foundation for structures						
2.5	Misc. civil works						
2.0	Total Civil Works						
C	Equipments						
3.1							
3.2							
3.3							
3.0	Total Equipments						
D	Spares						
4.1							
4.2							
4.3							
4.0	Total Spares						
E	Taxes and Duties						
5.1	Custom Duty						

[illegible]

2 If there is any package, which need to be shown in Indian Rupee and foreign currency(ies), the same should be shown separately, along with the currency, the exchange rate and the date e.g. Rs.80 Cr+US\$50m=Rs.320Cr at US\$=Rs. 48 as on say 01.04.09.

Financial Package up to COD

Date of Commercial Operation

(Amount in lacs)

	Financial Package as Approved		Financial Package as on 1.4.2014		As Admitted on 1.4.2014	
	Currency and Amount ¹		Currency and Amount ¹		Currency and Amount ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Loan-I	US \$	200m				
Loan-II						
Loan-III						
and so on						
Equity-						
Foreign						
Domestic						
Total Equity						
Debt : Equity Ratio						

¹ Say US \$ 200m + Rs.400 Cr or Rs.1360 Cr including US \$200m at an exchange rate of 1US\$=Rs.48/- ² Date of Commercial Operation means Commercial Operation of the RLDC. ³ For example : US \$, 200M etc.

Petitioner

FORM- 4F

Statement of Capital cost

Name of the NLDC/RLDCs :

		As on relevant date. ¹
A	a) Opening Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in A(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in A(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in A(a) above	
B	a) Addition in Gross Block Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in B(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in B(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in B(a) above	
C	a) Closing Gross Block Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in C(a) above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in C(a) above	
	d) Amount of IEDC (excluding IDC, FC, FERV & Hedging cost) included in C(a) above	

¹Relevant date/s means date of COD and financial year start date and end date

(Petitioner)

FORM- 4G

Statement of Capital Works in Progress

Name of the NLDC/RLDCs :

(To be given for relevant dates and year wise)

		As on relevant date. ¹
A	a) Opening CWIP Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
B	a) Addition/Adjustment in CWIP Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
C	a) Capitalization/Transfer to Fixed asset of CWIP Amount during the period	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	
D	a) Closing CWIP Amount as per books	
	b) Amount of capital liabilities in a above	
	c) Amount of IDC, FC, FERV & Hedging cost included in a above	

¹Relevant date/s means date of COD and financial year start date and end date

Petitioner

FORM- 4H

Financing of Additional Capitalisation

Name of the NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Financial Year (Starting from 1.4.2014)	Projected/Actual					Admitted				
	Year1 ¹	Year2	Year3	Year4	Year 5 & So on	Year1	Year2	Year3	Year4	Year 5 & So on
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amount capitalised in Work/Equip-ment										
Financing Details										
Loan-1										
Loan-2										
Loan-3 and so on										
Total Loan ²										
Equity										
Internal Resources										
Others										
Total										

¹ Year 1 refers to Financial Year of COD and Year 2, Year 3 etc. are the subsequent financial years respectively.² Loan details for meeting the additional capitalisation requirement should be given as per FORM-7 or 8 whichever is relevant.

Petitioner

FORM-41

Details of Foreign Equity

(Details only in respect of Equity infusion if any applicable to the project under petition)

Name of the NLDC/RLDCs :

Exchange Rate on date/s of
infusion: _____

Sl. No.	Financial Year	Year 1				Year 2				Year 3 and so on			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs.)	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs.)	Date	Amount (Foreign Currency)	Exchange Rate	Amount (Rs.)
	Currency ¹												
A.1	At the date of infusion ²												
2													
B	Currency ²												
1													
2													
	Currency ³												
A.1	At the date of infusion ²												
2													
B	Currency ⁴ & so on												
1	At the date of infusion ²												
2													

¹ Name of the currency to be mentioned e.g. US \$, DM, etc. ² In case of equity infusion more than once during the year, Exchange rate at the date of each infusion to be given.

Petitioner

FORM- 5A

Calculation of Interest on Normative Loan

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Particulars	Existing 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
Gross Normative loan - Opening						
Cumulative repayment of Normative Loan up to previous year						
Net Normative loan - Opening						
Increase/Decrease due to ACE during the Year						
Repayments of Normative Loan during the year						

Net Normative loan - Closing						
Average Normative Loan						
Weighted average Rate of Interest on actual Loans						
Interest on Normative loan						

Petitioner

FORM- 5B

Calculation of Weighted Average Rate of Interest on Actual Loans¹

Name of NLDC/RLDCs : _____

(Amount in lacs)

Sl. No.	Particulars	Existing 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
	Loan-1						
	Gross loan - Opening						
	Cumulative repayments of Loans up to previous year						
	Net loan - Opening						
	Add: Drawal(s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan - Closing						
	Average Net Loan						
	Rate of Interest on Loan on annual basis						
	Interest on loan						
	Loan repayment effective from (date to be indicated)						
	Loan-2						
	Gross loan - Opening						
	Cumulative repayments of Loans up to previous year						
	Net loan - Opening						
	Add: Drawal(s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						
	Net loan - Closing						
	Average Net Loan						
	Rate of Interest on Loan on annual basis						
	Interest on loan						
	Loan repayment effective from (date to be indicated)						
	Loan-3 and so on						
	Gross loan - Opening						
	Cumulative repayments of Loans up to previous year						
	Net loan - Opening						
	Add: Drawal(s) during the Year						
	Less: Repayment (s) of Loans during the year						

¹ In case of Foreign Loans, the calculations in Indian Rupees is to be furnished. However, the calculations in Original currency is also to be furnished separately in the same form.

Exchange Rate as on
1.4.2014

[illegible]

Interest Type ⁶						
Fixed Interest Rate, if applicable						
Base Rate, if Floating Interest ⁷						
Margin, if Floating Interest ⁸	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No
Are there any Caps/Floor ⁹						
If above is yes, specify caps/floor						
Moratorium Period ¹⁰						
Moratorium effective from						
Repayment Period ¹¹						
Repayment effective from						
Repayment Frequency ¹²						
Repayment Instalment ^{13,14}						
Base Exchange Rate ¹⁵						
Are foreign currency loan hedged?						
If above is yes, specify details ¹⁷						

¹ Source of loan means the agency from whom the loan has been taken such as WB, ADB, WMB, PNB, SBI, ICICI, IFC, PFC etc.

² Currency refers to currency of loan such as US\$, DM, Yen, Indian Rupee etc.

³ Details are to be submitted as on 31.03.2014 for existing assets and as on COD for the remaining assets.

⁴ Where the loan has been refinanced, details in the Form is to be given for the loan refinanced. However, the details of the original loan is to be given separately in the same form.

⁵ Interest type means whether the interest is fixed or floating.

⁶ Base rate means the base rate as specified by the bank, LIBOR etc. over which the margin is to be added. Applicable base rate on different dates from the date of drawl may also be enclosed.

⁷ Margin means the points over and above the floating rate.

⁸ At times caps/floor are put at which the floating rates are frozen. If such'a condition exists, specify the limits.

⁹ Moratorium period refers to the period during which loan servicing liability is not required.

¹⁰ Repayment period means the repayment of loan such as 7 years, 10 years, 25 years etc.

¹¹ Repayment frequency means the interval at which the debt servicing is to be done such as monthly, quarterly, half yearly, annual, etc.

¹² Where there is more than one drawal/repayment for a loan, the date & amount of each drawal/repayment may also be given separately

¹³ If the repayment instalment amount and repayment date can not be worked out from the data furnished above, the repayment schedule to be furnished separately.

¹⁴ In case of Foreign loan, date of each drawal & repayment alongwith exchange rate at that date may be given.

¹⁵ Base exchange rate means the exchange rate prevailing as on 31.03.2014 for existing assets and as on 1.4.2014(or COD) for the remaining assets.

¹⁶ In case of hedging, specify details like type of hedging, period of hedging, cost of heging, etc.

¹⁷ At the time of truing up rate of interest with relevant reset date (if any) to be furnished separately

¹⁸ At the time of truing up provide details of refinancing of loans considered earlier. Details such as date on which refinancing done, amount of refinanced loan, terms and conditions of refinanced loan, financing and other charges incurred for refinancing etc.

Petitioner

FORM-5E

Details of Allocation of corporate loans to various RLDCs

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Particulars	Package1	Package2	Package3	Package4	Package5	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Source of Loan ¹						
Currency ²						
Amount of Loan sanctioned						
Amount of Gross Loan drawn up to 31.03.2009/COD ^{3,4,5,13,15}						
Interest Type ⁶						
Fixed Interest Rate, if applicable						
Base Rate, if Floating Interest ⁷						
Margin, if Floating Interest ⁸						
Are there any Caps/Floor ⁹	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	
If above is yes, specify caps/floor						
Moratorium Period ¹⁰						
Moratorium effective from						
Repayment Period ¹¹						
Repayment effective from						
Repayment Frequency ¹²						
Repayment Instalment ^{13,14}						
Base Exchange Rate ¹⁶						
Are foreign currency loan hedged?						
If above is yes, specify details ¹⁷						
Distribution of loan to various transmission schemes						
Eastern Region						
Scheme 1						
Scheme 2 and so on						
Total						
Western Region						
Scheme 1						
Scheme 2 and so on						
Total						
Northern Region						
Scheme 1						
Scheme 2 and so on						
Total						

Southern Region						
Scheme 1						
Scheme 2 and so on						
Total						
North-Eastern Region						
Scheme 1						
Scheme 2 and so on						
Total						
RLDC						
Total						

¹ Source of loan means the agency from whom the loan has been taken such as WB, ADB, WMB, PNB, SBI, ICICI, IFC, PFC etc.

² Currency refers to currency of loan such as US\$, DM, Yen, Indian Rupee etc.

³ Details are to be submitted as on 31.03.2014 for existing assets and as on COD for the remaining assets.

⁴ Where the loan has been refinanced, details in the Form is to be given for the loan refinanced. However, the details of the original loan is to be given separately in the same form.

⁵ If the Tariff in the petition is claimed separately for various transmission elements, details in the Form is to be given separately for all the schemes in the same form.

⁶ Interest type means whether the interest is fixed or floating.

⁷ Base rate means the base rate of as specified by bank, LIBOR etc. over which the margin is to be added. Applicable base rate on different dates from the date of drawl may also be enclosed.

⁸ Margin means the points over and above the floating rate.

⁹ At times caps/floor are put at which the floating rates are frozen. If such a condition exists, specify the limits.

¹⁰ Moratorium period refers to the period during which loan servicing liability is not required.

¹¹ Repayment period means the repayment of loan such as 7 years, 10 years, 25 years etc.

¹² Repayment frequency means the interval at which the debt servicing is to be done such as monthly, quarterly, half yearly, annual, etc.

¹³ Where there is more than one drawl/repayment for a loan, the date & amount of each drawl/repayment and its allocation may also be given separately

¹⁴ If the repayment instalment amount and repayment date can not be worked out from the data furnished above, the repayment schedule to be furnished separately.

¹⁵ In case of Foreign loan, date of each drawal & repayment alongwith exchange rate at that date may be given.

¹⁶ Base exchange rate means the exchange rate prevailing as on 31.03.2014 for existing assets and as on COD for the remaining assets.

¹⁷ In case of hedging, specify details like type of hedging, period of hedging, cost of heging, etc.

¹⁸ At the time of truing up rate of interest with relevant reset date (if any) to be furnished separately

¹⁹ At the time of truing up provide details of refinancing of loans considered earlier. Details such as date on which refinancing done, amount of refinanced loan, terms and conditions of refinanced loan, financing and other charges incurred for refinancing etc.

Petitioner

FORM-6A

Statement of Depreciation

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Financial Year	Existing 2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	11	12	13	14	15
Depreciation on Capital Cost						
Depreciation recovered during the Year						
Cumulative depreciation deducted due to de-capitalization or write off of the assets etc.						
Cumulative Depreciation & Advance against Depreciation recovered up to the year						

FORM-6B

Name of NLDC/RLDCs :

Calculation of Depreciation Rate

				(Amount in lacs)
Sl. No.	Name of the Assets ¹	Gross Block as on 31.03.2014, whichever is later and subsequently for each year thereafter up to 31.3.2019	Depreciation Rates as per CERC's Depreciation Rate Schedule	Depreciation Amount for each year up to 31.03.2019
	1	2	3	4= Col.2 X Col.3
1	Land			
2	Building			
3	and so on			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	TOTAL			
	Weighted Average Rate of Depreciation (%)			

¹ Name of the Assets should conform to the description of the assets mentioned in Depreciation Schedule appended to the Notification.

Petitioner

FORM - 7A

Details of Operation and Maintenance Expenses excluding human resource expenses

Name of NLDC/RLDCs :

(Rs. In Lacs)						
	ITEMS	2009-10	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
	1	2	3	4	5	6
1	Repairs and maintenance expenses					
2	Administrative and general expenses, etc					
3	Total					

- Note:**
1. Detail of these expenditure as per formats enclosed
 2. To be furnished for all the RLDCs, NLDC and Corporate office.

Petitioner

FORM - 7B

Name of NLDC/RLDCs :

Details of Human Resource Expenses

PERIOD-	1	ACTUALS FOR PREVIOUS FIVE YEARS
	2	ACTUALS FOR 1ST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	3	EXPECTED FOR LAST SIX MONTHS OF THE CURRENT YEAR
	4	EXPECTED FOR ENSUING YEAR

Sl. No.	Account Code	Particulars	Executive		Non-Executive		Total
			Technical	Non-Tech.	Technical	Non-Tech.	
1	Salaries						
2	Over-time						
3	Dearness Allowance						
4	Other Allowance						
5	Bonus						
6	Productivity Linked Incentive						
7	Sub Total (1 to 6)						
	OTHER STAFF COST						
8	Reimbursement of Medical Expenses						
9	Leave Travel Concession						
10	Reimbursement of House-Rent						
11	Interim Relief to Staff						
12	Encashment of Earned Leave						

13	Honorarium						
14	Payment under Workmen compensation Act						
15	Ex-gratia						
16	Expenditure on VRS						
17	Sub Total (8 to 16)						
18	Staff Welfare Expenses						
19	Terminal Benefits						
20	Provisions						
21	Others (Specify)						
22	Total (7+17+18+19+20+21)						
23	Revenue recovered, if any						
24	Net Total (22-23)						
ADDITIONAL INFORMATION							
1	No. of Employees as on :						
	(I) Executives						
	(ii) Non-Executives						
	(iii) Skilled						
	(iv) Non-Skilled						
	Total						
2	No. of Employees per						
	(i) MW handled						
	(ii) MKwh handled						

(I) An annual increase in HR expenses under a given head in excess of 20 percent should be explained with proper justification.

(II) The data should be based on audited balance sheets.

(III) Details of arrears, if any pertaining to period prior to the year 2013-14 should be mentioned separately.

(IV) No. of employees opting for VRS during each year should be indicated.

(V) Details of abnormal expenses, if any shall be furnished separately.

(VI) The monthwise provisions made in the employee cost during 2008-09, 2009-14 (year wise) towards wage revision/arrears shall be provided separately.

(Petitioner)

FORM - 7C

Details of Repairs and Maintenance Expenses

Name of NLDC/RLDCs :

A. REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENSES (Actuals)

Sl. No.	Description	Actuals for previous Financial Year	Current Financial Year			Estimates for ensuing year
			Actual For First Six Months	Projection For Balance Six Months	Total	
1	Consumption of stores and spares					
2	Loss of stores and spares					
3	Plant & Machinery repairs and maintenance					
4	Civil works repairs and maintenance					
5	Annual Maintenance Contract (4a+4b+4c)					
5a	- Plant & machineries					
5b	- Civil repairs and maintenance					
5c	- Others					
6	Others (Specify)					
7	Total (1+2+3+4+5+6)					
8	Revenue recoveries, if any					
9	Net Total (7-8)					

B. REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENSES (As per Regulation)

Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Admitted Capital cost as on 1st April of the year					
Repairs and Maintenance expenses					
Repairs and Maintenance expenses as a percentage of Capital cost					

Petitioner

FORM - 7D

Details of Administrative and General Expenses

Name of NLDC/RLDCs :

		Actuals for previous five Financial Year	(Current Financial Year)			Estimates for ensuing year
Sl. No.	Description		Actual For First Six Months (Rs. in Crs.)	Projection For Balance Six Months	Total	
PROPERTY RELATED EXPENSES						
1	Licence Fees					
2	Rent					
3	Rates & Taxes					
4	Insurance					
5	Contribution to accident reserve fund					
6	Sub Total :					
COMMUNICATION						
7	Telephone & Trunk Call					
8	Postage & Telegram					
9	Telex, Teleprinter Charges, Telefax					
10	Courier Charges					
11	Other					
12	Sub total :					
PROFESSIONAL CHARGES						
13	Legal expenses					
14	Consultancy charges					
15	Technical fees					
16	Audit fees					
17	Other charges					
18	Sub total :					
CONVEYANCE & TRAVELLING						
19	Conveyance expenses					
20	Travelling expenses					
21	Hire charges of vehicle					
22	Others					
23	Sub total :					
OTHER EXPENSES						
24	Electricity charges					
25	Fees & Subscription					
26	Books & Periodicals					
27	Printing & Stationery					
28	Advertisement					

29	Entertainment					
30	Watch & Ward					
31	Miscellaneous					
32	Organisational Development Expenses					
33	Donation					
34	Training					
35	Sub total :					
	MATERIAL RELATED EXPENSES					
36	Demurrage and Wharfage on materials					
37	Clearing & forwarding charges					
38	Transit insurance					
39	Sub total :					
40	Others (Specify)					
41	Total (6+12+18+23+35+39+40)					
42	Revenue recoveries, if any					
43	Net Total (41-42)					

Petitioner

FORM- 8

Calculation of Interest on Working Capital

Name of NLDC/RLDCs :

(Amount in lacs)

Sl. No.	Particulars	Existing 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O & M expenses excluding human resource expenses						
2	Human resource expenses						
3	NLDC charges						
4	Receivables						
5	Total Working Capital						
6	Rate of Interest						
7	Interest on Working Capital						

Petitioner

[illegible]

2.2	Indian equity drawn	--	--	--	--	--	--	--	--
	Total equity deployed								

Note 1. Drawal of debt and equity shall be on paripassu basis quarter wise to meet the commissioning schedule. Drawal of higher equity in the beginning is permissible.

2. Applicable interest rates including reset dates used for above computation may be furnished separately.

Petitioner

FORM- 10

Name of NLDC/RLDCs :

Actual cash expenditure

	Quarter-I	Quarter-II	Quarter-III	Quarter-IV
Payment to contractors/suppliers				
% of fund deployment				

Note : If there is variation between payment and fund deployment justification need to be furnished.

Petitioner

FORM 11

LDC Development Fund

Name of NLDC/RLDCs : _____

(Amount in lacs)

Particulars	As on 31.3.2014	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
Opening LDC development fund – Opening						
Additions in LDC development fund during the year						
Total LDC development fund						
Less : Utilization for capital expenses						
Less : Utilization for revenue expenses						
Net LDC development fund as on 31 st March of the year						
Average fund accumulated during the year						

Note : Break of additions and utilization shall be provided in separate sheet for each year.

Petitioner

3356 GI/15-11

FORM 12

Other Income

Name of NLDC/RLDCs : _____

(Amount in lacs)

Particulars	As on 31.3.2014	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
Other Income – Opening						
Add : Short term open access charges						
Add : Allocation from REC income						
Add:						
Add:						
Add:						
Gross Income during the year						
Less : Utilization to meet shortfall						
Less : Use for...						
So on						
...						
Net Income as on 31st March						

Petitioner

Appendix-II

[To be published in pursuance of Regulation 6]

Name of the Applicant } (in Bold Letters)

(Registered Office Address)

- The applicant above-named has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for determination of fees and charges for [Give name of the applicant].
- The users of the NLDC/RLDC are:
 -
 -
- Approved capital cost of the project (Rs. in lakh):
 - Original:
 - Final (Revised):
- Authority which has approved the Capital Cost:

5. Scheduled date of commercial operation:
 - a. Original:
 - b. Final (Revised):
6. Actual date of commercial operation:
7. Capital cost on the date of commercial operation (Rs. in lakh):
8. Details of tariff (Publish only applicable portion):

(Rs. in lakh)

	Tariff for the previous year	Year-wise tariff sought to be determined					
		Previous year	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. RLDC							
2. NLDC							

9. A copy of the application made for determination of tariff is posted on the website (indicate here the address of the website).
10. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd Floor, Chandralok Building, 36, Janpath, New Delhi - 110 001, with a copy to the applicant within 30 days of publication of this notice.

Place _____

Name and Designation of the Authorised Signatory

Date _____

Appendix-III

Depreciation Schedule

Sr. No.	Asset Particulars	Depreciation Rate
A	Land under full ownership	0.00%
B	Land under lease	
(a)	For investment in the land	3.34%
(b)	For cost of clearing the site	3.34%
C	<u>Other Assets</u>	
A	Building & Civil Engineering works	
(i)	Offices and residential	[3.34%]
(ii)	Containing plant and equipments	3.34%
(iii)	Temporary erections such as wooden structures	[100.00%]
(iv)	Roads other than Kutchha roads	[3.34%]

(v)	Others	[3.34] %
B	Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant foundation)	
(i)	Transformers including foundations having rating of 100 KVA and over	5.28%
(ii)	Others	5.28%
C	Switchgear including cable connections	5.28%
D	Lightning arrestor	
(i)	Station type	5.28%
(ii)	Pole type	5.28%
(iii)	Synchronous condenser	5.28%
E	Batteries	5.28%
(i)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
(ii)	Cable duct system	3.34%
F	Overhead lines including cable support systems	
(i)	Lines on fabricated steel operating at terminal voltages higher than 66 KV	3.34%
(ii)	Lines on steel supports operating at terminal voltages higher than 13.2 KV but not exceeding 66 KV	5.28%
(iii)	Lines on steel on reinforced concrete support	5.28%
(iv)	Lines on treated wood support	5.28%
G	Meters	5.28%
H	Self propelled vehicles	9.50%
I	Air Conditioning Plants	
(i)	Static	5.28%
(ii)	Portable	9.50%
J		
(i)	Office furniture and furnishing	6.33%
(ii)	Office equipment	6.33%
(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
(iv)	Street Light fittings	5.28%
K	Apparatus let on hire	
(i)	Other than motors	9.50%
(ii)	Motors	6.33%
L	Communication equipment	
(i)	Radio and high frequency carrier system	6.33%

(ii)	Telephone lines and telephones	6.33%
M	I. T equipments	15.00%
N	Softwares	30.00%
O	Any other assets not covered above	5.28%

Appendix-IV

(In Compliance of Regulation 4)

1. **Name of the entity (in bold letters):**
2. **Registered office address:**
3. **Region in which registration is sought:**
 - i. North-eastern
 - ii. North
 - iii. East
 - iv. West
 - v. South
4. **User category:**
 - i. Generating Station
 - ii. Seller
 - iii. Buyer
 - iv. Transmission Licensee
 - v. Distribution Licensee
 - vi. Trading Licensee
 - vii. Power Exchange
5. **User details (as on 31st March of last financial year):**
 - i. **Category – Generating Station**
 - i. Total Installed Capacity
 - ii. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
 - iii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

- ii. **Category – Seller/Buyer/Distribution Licensee**
 - i. Maximum Contracted Capacity (MW) using ISTS
 - ii. Points of connection to the ISTS:

Sl. No.	Point of connection	Voltage level (kV)	Number of Special Energy Meters (Main) installed at this location

iii. **Category – Transmission Licensee (Inter-State)**

i. Sub-stations:

Sl. No.	Sub-station Name	Number of transformer	Total Transformation Capacity or Design MVA handling capacity if switching station

ii. Transmission lines:

Sl. No.	Voltage level (kV)	Number of transmission lines	Total Circuit-Kilometers

6. **Contact person(s) details for meters related to RLDC/NLDC:**

- i. Name:
- ii. Designation:
- iii. Landline Telephone No.:
- iv. Mobile No.:
- v. E-mail address:
- vi. Postal address:

The above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Authorised Representative

Place:

Name:

Date:

Designation:

Contact number:

Appendix V**Assessment of Key Performance Indicators**

Name of RLDC or NLDC: _____

Performance Year: _____

Sr. No.	Key Performance Indicators	Weightage	Previous Year	Current Year
1	Interconnection Meter Error	10		
2	Disturbance Measurement	10		
3	Average processing time of shutdown request	10		
4	Availability of SCADA system	10		
5	Voltage Deviation Index (VDI)	10		
6	Frequency Deviation Index (FDI)	10		
7	Reporting of System Reliability	10		
8	Availability of Website	10		
9	Availability of Standby Supply	5		
10	Variance of Capital expenditure	5		
11	Variance of Non Capital expenditure	5		
12	Percentage of Certified Employee	5		
	Total	100		

(Calculations of specific key performance indicators from Sl. No. 1 to 7 above are given in Appendix VI).

Appendix-VI**KEY PERFORMANCE INDICATOR****1. Reporting of Interconnection meter error**

Description	The meter error indicates the error in Special Energy Meter (SEM) due to error in meter as well as in CT/ PT and due to drift. This would tell how often the metering needs calibration.
Measurement/ Monitoring	Weekly
Action Taken	Hosted on website weekly
Remarks	Intimation to concerned utilities for corrective action.

2. Reporting of Grid Incidents and Grid Disturbance

Number of Disturbances with associated Loss of Energy

Category*	Name of Region /State /Utility / Licensee	Count	Recovery Period	Loss of Energy
		(Nos.)	(Hrs)	(MUs)
GI-1				
GI-2				
GD-1				
GD-2				
GD-3				
GD-4				
GD-5				
Total				

*Category as defined in CEA Grid Standards. RLDCs and NLDC shall have to report each incident of grid disturbance to the Commission.

3. Average processing time of shut down request

Description	It determines the time taken by RLDCs in approving the request for taking an element in or out of the system.
Measurement/ Monitoring	Total time taken to approve the requests in a month/ no. of requests in a month.
Remarks	Effectiveness of Transmission Outage Coordination.

4. Availability of SCADA System: SCADA System Availability in each RLDC and NLDC should be 99.99 %**5. Voltage Deviation Index (VDI) :**

Description	Measurement/Monitoring	Action Taken	Remark/action required
% of time the voltage remained out of range permitted under IEGC at all 400 kV and above sub stations .	=(Nos of hours the voltage at all sub-stations of 400 kV and above was out of range during a day or week or month/No. of hours in a day or week or month) × 100	Hosted on website daily, weekly, monthly	Intimation to concerned utilities for corrective action, if required

6. Frequency Deviation Index (FDI):

Description	Measurement/Monitoring	Action Taken
% of time the frequency remained out of IEGC range.	=(No of hours during which frequency was out of range during a day /Nos. of hour in a day/week/month × 100	Hosted on website Daily, weekly & Monthly

7. Reporting of System Reliability:

Description	Measurement/ Monitoring important corridor	Action Taken
Reliability measures the ability of the system to perform its intended function	Reporting following on the inter-regional corridors/important Buses where PMUs are installed in the region: -% of times N-1 criteria was violated in the inter-regional corridors. -% of times ATC violated on the Inter-regional corridors. -% of time Angular difference on important buses was beyond permissible limit.	Hosted on website Daily, weekly & Monthly basis.